

Joint Committee Inspection Report

Submitted in reference to

Hon'ble National Green Tribunal (NGT)

Principal Bench, New Delhi

Order dated 24.05.2023

in the matter of

Original Application No. 166/2023

Anupam Kumar Patel

Vs

State of Madhya Pradesh & Others

Member of the Team

1. Sh. P.S. Tripathi SDM, (Collector representative)
2. Dr. Pushendra Singh, Regional Officer, MPPCB, Rewa

Joint Committee Inspection Report

Hon'ble NGT O. A. 166/2023

in the matter of Anumap Kumar Patel & Others V/s State of Madhya Pradesh

Order dated 24.05.2023

INDEX

S. No.	Particulars Details	Page No.
1.	Joint committee report in NGT O.A. 166 of 2023 order dated 24 th May 2023	1-7
2.	A. Work executed by the Committee	1-6
3.	B. Joint committee Observations	7
4.	C. Recommendation of the Joint committee	7
5.	Table No.1 Consent Status of Astha Stone Crusher	4
6.	Table No.2 Status of Mine of M/s Astha Stone Crusher	4
7.	Table No.3 The details of EC is been granted of the following mines of the area	6
8.	Annexure-I Collector nominated SDM Raipur Karchuliyan	8
9.	Annexure-II Member secretary nominated R.O. Rewa	9
10.	Annexure-III Mauka Pachnama	10
11.	Annexure-IV Lab Analysis Report AAQM	11
12.	Annexure-V Land diversion letter	12
13.	Annexure-VI Report of SDM and Patwari Raipur karchuliya	13-16
14.	Annexure-VII Mining Lease of M/S Astha Stone Crusher Shri Santosh Sharma	17-19
15.	Annexure-VIII Order of the seizer of the stone crusher	20
16.	Annexure-VIX Consent letter of the M/s Astha stone crusher under Air (prevention and control of Pollution) Act. 1981 dated 2.11.2010	21-22
17.	Annexure-X Renewal letter of the Consent letter M/s Astha Stone Crusher under Air (prevention and control of Pollution) Act. 1981 dated 03.04.2014	23
18.	Annexure-XI Renewal letter of the Consent letter M/s Astha Stone Crusher under Air (prevention and control of Pollution) Act. 1981 dated 11.11.2022	24-28
19.	Annexure-XII Letter of the district collector (Mining) Distt. Rewa dated 09.05.2023	29
20.	Annexure-XIII Letter of the district collector (Mining) Distt. Rewa dated 07.07.2023	30-32
21.	Annexure-XIV Google map of the Ramnai and Bhalua Hill and Photo of the stone crusher and mining area where mining area as well as Maa Karmasan Temple is shown	33-40
22.	Annexure-XV Letter of the closer direction of the M/s Astha Stone Crusher	41-42
23.	Annexure-XVI Photo Graph dated 09.05.2023	43-45
24.	Annexure-XVII Reply letter of M/s Astha Stone Crusher dated 12.05.2023	46-48
25.	Annexure-XVIII EC Letter of the two mines	49-69
26.	Annexure-XIX Consent letter M/s Astha Cons. & Minerals (Mines) for mining	70-71

Joint Inspection Report

Hon'ble NGT vide its order dated 24th May 2023 in O.A. 166/2023 in the matter of Anupam Kumar Patel Vs. State of Madhya Pradesh & other directed as follows:

“A Joint committee comprising Madhya Pradesh pollution control board and district magistrate Rewa who shall visit the site, collect relevant information's including assessing extent of environmental damage caused and, if finds any violation, would take appropriate remedial and preventive action is in accordance with law within two months.”

In compliance of above, a committee was constituted of the following nominated members:

1. Shri P.S. Tripathi, Sub Divisional Magistrate, (collector representative) Raipur Karchuliyan Rewa (M.P.)
2. Dr. Pushpendra Singh, Regional Officer M.P. Pollution Control Board Rewa (M.P.)

Copy of the committee member nominated as enclosed at **Annexure-I & II.**

A. Work executed by the Committee:

1. Committee has undertaken site visit on 04.07.2023 and inspected M/s Astha stone crushers as mentioned in the Original Application. In compliance of the direction passed by Hon'ble NGT.

During the visit/inspection of the site the following officials were present :

- i. Shri P.S. Tripathi - Sub Divisional Magistrate, Raipur Karchuliyan Rewa
- ii. Dr. Pushpendra Singh - Regional Officer, MPPCB
- iii. Shri R.K. Dixit - Mining Officer, Rewa
- iv. Shri Shiv Bhusan Singh - Nayab Thesildar
- v. Shri Santosh Sharma - Owner of the Stone Crusher

The applicant was called upon but he was unable to present during inspection. The Mokha Panchnama sheet is enclosed as **Annexure-III.**

2. The MPPCB team was carried out Ambient Air Quality Monitoring at 3 locations namely at Higher Secondary School Raipur Karchuliyan, Maa Karmasan Temple and The said Stone Crusher. Results of the AQM are as below:

Date of Monitoring 04-07-2023 Time : 8.30 AM -3.30 PM

Name of Village	GPS Location	Location Details	Distance from Stone crusher Direction (KM) App.	Result AAQM PM₁₀
Ramnai	24.56099 81.40679	Near main gate of Govt. High school	Apprx.1.5 Kms. from Astha Stone Crusher in East	72.18
Ramnai	24.55729 81.40744	Near Karmasan Mandir	Apprx.600 mtrs. in South of Crusher at hill.	67.58
Ramnai	24.56033 81.41207	Astha Stone Crusher (near boundary wall of Crusher)	-	75.54

The monitoring results of PM₁₀ pertaining the site were found within the limit i.e., 100 µg/M³ because no mining activities and stone crusher were found operational. Results are enclosed as **Annexure-IV**.

S. No.	Issues raised in the Application	Response of the Joint Committee
1.	A Astha Stone Crusher at village Bhaluha, Tehsil Raipur Karchuliyan Distt. Rewa.	A Astha Stone Crusher is situated at village Ramnai not village Bhaluha Tehsil Raipur Karchuliyan Distt. Rewa. See Mokha Panchnama Annexure-III
2.	This stone crusher is located in agricultural land within a thickly populated area causes heavy pollution and damaging the environment as also the health of the local residents.	The stone crusher is not located in agriculture land. The diversion letter of competent officer order dated 09.09.07 as Annexure - V . The Astha stone crusher is away 200 meter from abadi and 600 meter away from maa karmasn Temple the report of patwari ramnai is as Annexure - VI . The back side is mine and left side fly ash bricks plant and right side is open land and across the road is have open land but this is not true that the stone crusher is located within the heavy populated area and damaging the environmental.

<p>3.</p>	<p>The said crusher was given a lease as 8.10.2021 by mining department but prior thereto illegal mining of Bhaluha Pahadi was carried out as 5 acre flat land of pahadi converting it into a mine. The pahadi is of a religious significance but now on a verge of extinction due to illegal mining activities.</p>	<p>The said stone crusher granted lease for 10 years for mining of area 1.0 hact. at village bhalua teh. Karchuliyan distt. Rewa in the khasara No. 224/1(kha)/1, 224/1(kha)/3, 224/1(kha)/4, 224/1(kha)/6, 224/1(kha)/7, 224/1(kha)/11 area 1.0 hact. Annexure - VII. But Bhu pravesh has not been issued by the mining department Rewa.</p> <p>The day of inspection mining activities was not found at village bhalua and near temple area. The stone crusher also found closed. No electric connection was also in the stone crusher. The stone crusher has been sealed at the spot. The order dated 04.07.2023 as Annexure - VIII.</p>
------------------	--	---

Table-1 Consent Status of Astha Stone Crusher

S.No.	Name of Stone Crusher	Consent Status	Product Name & Production Capacity	Air Pollution Control Details	Action taken by MPPCB	Action taken by district administration
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s Astha Construction & Minerals (Stone Crusher) Prop. Shri Santosh Sharma Vill. Bhaluha Teh. Raipur karchuliyan Distt. Rewa (M.P.)	Valid up to 31.01.2015 & From 11.11.2022 To 31.01.2025	Stone Gitti 10000.00 MT/Year	Boundary wall constructed, Crusher is not covered & Water Sprinkler system was not found operational.	Closer direction vide letter dated 12.05.2023 due to non compliance of following reasons. 1. Water sprinkler system was not operational. 2. Stock Permission from mining department not granted. 3. Consent for mining is not taken.	SDM Raipur Karchuliyan has sealed stone crusher for further order dated 04.07.2023

Table -2 Status of Mine of M/s Astha Stone Crusher

S.No.	Name of Stone Crusher	Consent Validity	Mining Capacity	Action taken by MPPCB	Action taken by district administration	Status of EC
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s Astha Construction & Minerals (Mines) Prop. Shri Santosh Sharma Vill. Bhaluha Teh. Raipur karchuliyan Distt. Rewa (M.P.)	30.01.2009	Manual Mining of Stone Gitti 10000.00 MT/Year	Mining is not operational from 2015 onwards Because lease validity was upto 23.07.2015. Mine was operational upto 23.07.2015 without board permission therefore EC may be imposed from 31.01.2009 to 23.07.2015	Till date Bhu Pravesh has not been granted by district Administration although lease is granted dated 16.05.2023 for 10 Year. During inspection of the committee stone crusher & mining was not found operational.	EC is issued dated 06.04.2023

3. Status of Consent of the Stone Crusher :-

The Details of Consent are as follows :-

1. The consent of the board under section 21 of the Air (Prevention and control of pollution) Act 1981 was granted dated 02.11.2010 for one year as **Annexure-IX**
2. Renewal of consent of the board under section 21 of air (prevention & control of pollution) Act 1981 was granted dated 03.04.2014 for the period of 01.02.2012 to 31.01.2015 as **Annexure-X**
3. Renewal of consent under section 25 (5) of the water (prevention of control of pollution) act 1974 & under section 21 of the Air) prevention of control of pollution) act 1981 was granted dated 11.11.2022 upto 31.05.2025 as **Annexure-XI**

4. Status of Mining Consent :-

The details of consent for mines :-

1. The consent of the board under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981 was granted dated 14.08.2008 for period valid upto 31.01.2009. The mines was operational without board permission upto 2015. **Annexure-XIX**

5. Lease of the mines :-

1. The mining lease was granted to the Santosh Sharma at village Ramnai Tehsil Raipur Karchuliyan Distt. Rewa at khasra No. 224/1 (kha)/1, 224/1 (kha)/3, 224/1 (kha)/4, 224/1 (kha)/6, 224/1 (kha)/7, 224/1 (kha)/11 area 01.00 Hact. The period of lease was granted from 10.01.2004 to 09.01.2009 and 24.07.2010 to 23.07.2015. The letter of mining department dated 09.05.2023 is as **annexure-XII**
2. Again lease was granted on the same khasra no. and same area dated 16.05.2023 onwards for 10 years.

6. Action taken by mining department :-

1. Mining department Rewa has been imposed Rs. 1 Lakh penalty against illegal mining to Shri Santosh Shama Mine . The letter of mining department Rewa as **Annexure-XII**
7. **The mining details of village Ramnai & Bhalua area and penalty imposed against the illegal mining of the area in the letter mining department dated 07.07.2023 as Annexure-XIII**

8. The details of EC is been granted of the following mines of the area are :

S.No.	Name	Production Capacity	Area	Validity of the mine	Method of mining	Date of EC issued	Board Consent Status
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Santosh Sharma village Bhaluha Tehsil Raipur karchuliyan Distt. Rewa (M.P.)	4241 Cum/Year	01 Hact.	07.10.2031	Open cast semi mechanized	06.04.2023	Not Taken
2	The director Satish Mishra M/s Narmada Dhoka Patthar,Patiya, Murum, Gitty, Village Bhula Teh. Raipur Karchuliya Distt. Rewa	9600 Cum/Year	01 Hact.	16.03.2032	Open cast semi mechanized	10.01.2023	Not Taken

9. Report has been submitted by sub divisional magistrate Raipur karchuliyan Rewa :-

The report has been submitted by sub divisional magistrate Raipur karchuliyan Rewa as **Annexur -VI** . The Bhalua pahadi is the area where mining was being done by so many mines owner. The Google map can be observed and Photo taken during the inspection as enclosed **Annexure - XIV** The report of SDM is point out in there report that the illegal mining is being done of the said pahadi area.

10. The closer direction was issued dated 12.05.2023 the copy of closer direction as **Annexure - XV** and photo taken dated 09.05.2023 also enclosed as **Annexure - XVI**. The industry has also been replied dated 12.05.2023 is also enclosed as **Annexure - XVII**. The EC granted by SEIAA of two mines also enclosed as **Annexure - XVIII**

Observation:

1. M/s Astha stone crusher was found non operational at the time of inspection of the committee.
2. No Mining was found operational at the time of visit.
3. Mining is regularly is being done of the area since long as seen of the site visit.
4. No plantation is being planted by any mines owner.
5. Only two lease is permitted of the said area.
6. Religious temple is located at the top of the hill.
7. At the distance of about 50 meter from the temple at the two side mining was carried out.

Recommendation :

1. M/s Astha Stone Mining is not taken consent since 2009 to 2015 from the board. Therefore EC may be imposed.
2. The mining may be stop within 200 meter of the Religious Temple.
3. The plantation of the mining area was found in adequate. The special drive of the plantation of abandon mines and near by the Temple may be proposed the different govt. scheme.



(P.S. Tripathi)

SDM, Raipur Karchuliyan Rewa
(Collector representative)



(Dr. Pushendra Singh)

Regional Officer
M.P. Pollution Control Board Rewa

शाखा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को. का रीवा

क्रमांक

विषय NGT 36/2023

विषय :- माननीय एनजीटी प्रिंसिपल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 166/2023(अनुपम कुमार पटेल विरुद्ध म.प्र. शासन) में दिनांक 24.05.23 को पारित आदेश के अनुपालन बावत।

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय एनजीटी प्रिंसिपल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 166/2023में दिनांक 24.05.23 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार है :-

The complaint is that there is a **Ashta Stone Crusher at Village -Bhaluha, Tehsil Raipur Karchulian Distt. -Rewa (M.P.)** which is located in agricultural land within a thickly populated area, causing heavy pollution and damaging the environment as also the health of the local residents . The said crusher was given a lease on 08.10.2021 by Mining Department but prior there to, illegal minin of Bhaluha Pahadi was carried out on 5 acre flat land of pahadi , convering it into a mine. The Pahadi id of a religious significance but now on the verge of extinction due to illegal mining activities.

In our view, the issue raised in the application , at the first instance, can be looked into by the local authorities and in this regard, we constitute a **joint Committee comprising Madhya Pradesh Pollution Control Board and District Magistrate, Rewa** who shall visit the site , collect relevant informations in cluding assessing extent of environmental damage caused, and , if find any violation, would take appropriate , remedial and preventive action in accordance with law within two months.

District Magistrate, Rewa shall be the nodal agency for coordination and compliance of this order . The Copy of Action taken Report shall be filed by the said committee before Registal of Central Zonal Bench at Bhopal by E-mail at judicial-ngt@gov.in.

बोर्ड की ओर से क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा को समिति का सदस्य नामांकित किया गया है। कृपया जिला प्रशासन की ओर से प्रतिनिधि नामांकित किये जाने का अनुरोध है।

[Signature]
क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
रीवा (म.प्र.)
21/6/2023

~~कलेक्टर रीवा~~

SDM Mangaw

[Signature]



मध्यप्रदेश
प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेय कॉलोनी, भोपाल-462016




Fax No : +91-755-2463742 E-mail : it_mppcb@rediffmail.com

कमांक 1567 /विधि/ NGT(CZ)/प्रनिबो/23
प्रति

कलेक्टर,
कलेक्टर कार्यालय,
रीवा

भोपाल, दिनांक 01 JUN 2023



विषय :- माननीय एनजीटी प्रिंसिपल बेंच द्वारा प्र.क. 166/2023 (अनुपम कुमार पटेल विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन) में दिनांक 24.05.23 पारित आदेश के अनुपालन बावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय एनजीटी प्रिंसिपल बेंच द्वारा प्र.क. 166/2023 में दिनांक 24.05.23 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार है। (प्रति संलग्न)

The complaint is that there is a Astha Stone Crusher at village Bhaluha, Tehsil Raipur Karchulaina, District Rewa, State of Madhya Pradesh which is located in agricultural land within a thickly populated area, causing heavy pollution and damaging the environment as also the health of the local residents. The said crusher was given a lease on 08.10.2021 by Mining Department but prior thereto, illegal mining of Bhaluha Pahadi was carried out on 5 acre flat land of Pahadi, converting it into a mine. The Pahadi is of a religious significance but now on the verge of extinction due to illegal mining activities.

In our view, the issue raised in the application, at the first instance, can be looked into by the local authorities and in this regard, we constitute a **Joint Committee comprising Madhya Pradesh Pollution Control Board and District Magistrate, Rewa** who shall visit the site, collect relevant informations including assessing extent of environmental damage caused, and, if finds any violation, would take appropriate, remedial and preventive action in accordance with law within two months.

District Magistrate, Rewa shall be the nodal agency for coordination and compliance of this order. The copy of Action Taken Report shall be filed by the said Committee before Registrar of Central Zonal Bench at Bhopal by e-mail at judicial-ngt@gov.in

बोर्ड की ओर से क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा (मो.नं- 8226023925) को उपरोक्त समिति में सदस्य नामांकित किया जाता है। कृपया आपके कार्यालय से एक प्रतिनिधि को नामांकित कर समय-सीमा (2 माह) के पूर्व रिपोर्ट रजिस्टार, माननीय अधिकरण, भोपाल बेंच, के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध है, ताकि माननीय अधिकरण के आदेश का पालन हो सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

- 1 क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

खान दिनांक 04/07/2023 को ग्राम रामनई तह. रामपुर ठर. जिला सीवा जिल्ला कृशर मे. कारण लेख कृशर डी जंग मा. एन जी. टी. प्रिन्सिपल बेन्ज खरुण हमांक 166/2023 अनुपम परेल विषय म. प्र. शासन मे दिनांक 24/05/2023 को पारित सादेश के अनुपालन मे अनुविधागीय अधिकारी राजलव, मन्गवा, शरीप अधिकारी म. प्र. प्रशुषण नियन्त्रण बोर्ड, खनिज अधिकारी सीवा व उपरिखत लोगो के समक्ष प्रिन्सिपल कृपा गपा। मने के डि रिबन्डि से अवगत कराया जाक पत्रनामा लेख कृपा गपा व हस्ताक्षर कराये गरे। पत्रनामा मेरे द्वारा लिखिबध कृपा गपा।

[Signature]
04/07/2023
खनिज निरीक्षक सीवा

[Signature]
नाम - पी. एस. खिपागी
पद - अनुविधागीय अधिकारी
राजलव मन्गवा व शरीप कृपा गपा
हस्ताक्षर -

नाम - पुष्पेन्द्र सिंह 417
पद - शरीप अधिकारी
म. प्र. प्रशुषण नियन्त्रण बोर्ड
सीवा
हस्ताक्षर -

नाम - मार. के. डिशित
पद - प्रकारी अधिकारी खनिज
सीवा
हस्ताक्षर - *[Signature]*

नाम - ए. के. निवारी
पद - इन्सिस्ट टेक्निकल
म. प्र. प्रशुषण नियन्त्रण बोर्ड
हस्ताक्षर - *[Signature]*
04/07/23

नाम - श्री शिवशुषण सिंह
पद - मायल तहलियादार
रामपुर ठर.
हस्ताक्षर -

नाम - सतोष शर्मा
कृशर स्यालक
हस्ताक्षर - सतोष शर्मा



REGIONAL LABORATORY
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD
HIG 190-191 NEHRU NAGAR COLONY REWA (M.P.)

Ambient Air Quality Monitoring Report

Monitoring done By : Shri R.B. Yadav, Chemist & Shri D.K.Shukla, L.A. Rewa

Date Of Monitoring : 04.07.2023 ; Duration-Eight hourly

Samples Analysed By : Dr. Shubhi Mathur, Jr. Scientist RO M.P.C.B. Rewa

No.	Name of village	Sampling Point	GPS location	Date of Monitoring sampling	Time period	Parameter & limit	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Remark
1.	Village Ramnai, Distt. Rewa	Near main gate of Govt. High School, Ramnai, Distt. Rewa (Apprx. 1.5 Kms. from Astha stone crusher in East)	24.56099 81.40679	04.07.2023	480 min.	PM-10 = 100 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	72.18	Weather was clear during monitoring
2.	Village Ramnai, Distt. Rewa	Astha stone crusher, near boundary wall.	24.56033 81.41207	04.07.2023	480 min.	PM-10 = 100 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	75.54	Plant was close during monitoring
3.	Village Ramnai, Distt. Rewa	Near Karmasan Mata temple (Apprx. 600 mtrs. in South of crusher at hill)	24.55729 81.40744	04.07.2023	480 min.	PM-10 = 100 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	67.58	Weather was clear during monitoring

1. Compared with National Ambient Air quality standards as per notification 18.11.2009.

(R.B. Yadav)
Chemist

(Dr. Shubhi Mathur)
Junior Scientist

Laboratory in charge
LABORATORY IN CHARGE
R.O. M.P.C.B. Rewa
Regional Office
M.P.C.B. REWA

XXXIII-D-3

Settlt

अदालत श्री श्री श्री श्री विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
(परिवर्तित भूमि पर पुनर्निर्धारण, प्रव्याजि तथा जुमाना का सूचना-पत्र)

नोटिस प्रपत्र 'बी'

बनाम

श्री श्री श्री श्री आत्मज श्री श्री श्री निवासी ग्राम मल्लु
पट.ह.नं. तहसील रायपुर (कच्छ) जिला सौराष्ट्र

(1) आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर गैर काश्तकारी उपयोग में लाये जाने के कारण राजस्व मामला क्रमांक 106/59/02/2006-07 के अंतर्गत कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी रायपुर के आदेश दिनांक 9/7/07 के अनुसार निम्नलिखित पुनर्निर्धारण (जमा) निर्धारण किया गया है :-

नाम ग्राम मय बन्दोबस्त नम्बर व ह.नं.	खसरा नम्बर सर्वे नम्बर प्लॉट नम्बर	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल	अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया संशोधित पुनर्निर्धारण (जमा)
<u>श्री श्री श्री</u> (548)	<u>224/15</u> <u>2 मेर</u>	<u>0.060 ई०</u> (<u>अव्यवस्थित</u>)	अनु. अधिकारी महोदय तहसील <u>रायपुर (कच्छ)</u> के आदेश दिनांक <u>9/7/07</u> द्वारा अव्यवस्थित / व्यवसायिक परिवर्तित भू- राजस्व रु. <u>1953/-</u> वर्ष <u>2005-06</u> से निरंतर एवं प्रीमियम रुपये <u>4500/-</u> के पुनर्निर्धारण की स्वीकृति दी गयी।
	<u>7927206</u>	<u>117</u>	
	<u>दिनांक 6/9/07 की</u>		
	<u>2706/ जमा</u>		

(2) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि काश्तकारी भूमि की गैर-काश्तकारी कामों में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप आप पर प्रीमियम (प्रव्याजि) 4500/- रुपया और जुमाना 300/- रुपया किया जाता है जो आप खजाने में जमा कर चालान दिनांक जमा है या इसके पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करें।

विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
परिवर्तित भूमि जिला सौरा (म.प्र.)



कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी तहसील-रायपुर कर्चुलियान जिला-रीवा (म.प्र.)
क्रमांक / 357 / प्रवाचक / 2023 रायपुर कर्चु0 दिनांक 19/07/23

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जिला-रीवा (मध्यप्रदेश)

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रकरण क्रमांक 166/2023 के संबंध में वांछित जानकारी दिये जाने विषयक।

संदर्भ: आपका कार्यालयीन पत्र पृ0क्रमांक 874/क्षे.का/तक./प्रनिबो/2023 रीवा दिनांक 10.07.2023।

//00//

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मुख्य बेंच नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन प्रकरण क्रमांक 166/2023 में पूर्व में प्रेषित जानकारी अनुसार सरल क्रमांक-11 में पट्टेदार के पट्टे की अवधि एवं पर्यावरण स्वीकृति एवं सरल क्रमांक 12 में पट्टेदार की पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानकारी चाही गई है।

उक्त संबंध में जांच प्रतिवेदन नायब तहसीलदार वृत्त पहडिया से मंगाया गया। नायब तहसीलदार वृत्त-पहडिया तहसील रायपुर कर्चुलियान द्वारा हल्का पटवारी रामनई द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन मूलतः अग्रेषित किया गया है। अतः उक्त जांच प्रतिवेदन इस पत्र के साथ मूलतः संलग्न कर आपकी ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहपत्र: उपरोक्तानुसार 06 पन्ने।


अनुविभागीय अधिकारी
रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा

प्रति,

नाथल तटखीलशा महोदय

कृत - पट्टिधा, तटखील - रामपुर कचुठ सीवा

कचुठपिठनेरुप

19.07.2023

विषय:- माननीय श. जी. टी. प्रकरण क्रमांक 166 / 2023, अनुपम फेल विला के समर्थ में दिनांक 04/7/2023 को ग्राफ रामनई, मलुका में किया गया संयुक्त निरीक्षण के संबंध में चाही गयी जानकारी।

महोदय, विषयान्तगत के संबंध में विन्डवाट निम्न है -

1. उक्त के संबंध में इल्पा परवारी रामनई, मलुका द्वारा संयुक्त जांच की गयी।
2. मौके से आस्था स्वेन क्रेसल के प्रोफाइल - सन्तोष पिता राजमणि शर्मा व अन्य ग्राफ काफी उपस्थित रहे। जांच दिनांक को केशल बन्द पाया गया। सन्तोष शर्मा व अन्य द्वारा बताया गया कि केशल कई वर्षों के बन्द हैं।
3. केशल व लीज प्राप्त प्रतियों का नबरी नशा स्थल पंचनामा में चिह्नित कर बताया गया है। केशल आ.नं. $\frac{224/1/1/2}{6.810.80}$ में स्थित है।
4. लीज की प्रतियाँ नम्बर 224/1/2/1, 224/1/2/3, 224/1/2/6, 224/1/2/7, 224/1/2/11 हैं। प्रतियाँ नम्बर 224/1/2/4 ईश्वरडीठ पाल की हैं जिनमें प्रतियाँ की सहमति सन्तोष शर्मा को प्राप्त है।
5. उक्त प्रतियों में उत्खननपत्रा कार्यालय कलेक्टर (रविज शारवा) से दिनांक 29/12/2021 से 10 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत है। सन्तोष शर्मा द्वारा यह भी बताया गया भू-प्रवेश न होने से उत्खनन का कार्य स्वीकृत दिनांक से शुरु नहीं किया जा सका है।
6. स्थल जांच में जो खनन किया गया चापा गया उक्त संबंध में

उपस्थित व्यक्तियों द्वारा जानकारी न होने की बात बतायी। कि ऐसा
क्रिके द्वारा किया गया है। (2)

7. आस्था स्टोन केशव आखाडी कछरी के लगभग 200 मीटर इट, रामनई
पहाडी मन्दिर (देवी ली का) से लगभग 600 मीटर इट दित है।
8. ग्राम रामनई-महुआ में पहाडी क्षेत्र में लीज का आवंटन, प्राप्ति,
एवं समाप्ति के संबंध में सूझ-तांझ की गयी लेकिन स्पष्ट जानकारी
प्राप्त नहीं हो सकी।
इसे व्यक्ति विभाग से प्राप्त कला ज्यादा उचित होगा।
इसी प्रकार अवैध उत्खनन के प्रकरणों की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी
9. स्थल जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि ग्राम महुआ में केशव चालू
नहीं है।

संलग्न


कार्यालय कलेक्टर रामनई
खनिज शाखा का पत्र उत्खनि पट्टा
का स्वीकृत पत्र।

A. K. Thakur
पट्टा रामनई
14/7/2023

स्वयं पंचनामा

आज दिनांक 12/7/2023 को हल्वा पट्टारी रामगढ़, मलुआ वारा जन.जी. प्रमाण क्रमांक 166/2023 अनुपम परेल विखंड के प्रमाण में नापठ तहसीलदार कुत पट्टिया के निदेशानुसार मौके के जांच हेतु उपस्थित हुओ।

मेसर्स आस्था स्टोन क्वैर, रामगढ़ में स्थित है जो निर्देशित दिनांक को बंद पाया गया। केशव मालिक सन्तोष शर्मा पिता राममणि शर्मा व उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि केशव कई वर्षों के बन्द है।



उत्पन्न पट्टा/लीज की जानकारी लेने पर पाया गया कि केशव मालिक सन्तोष शर्मा को 224/1/2/1, 224/1/2/3, 224/1/2/4 (भूमिकामी ईश्वर दीन द्वारा सहपति प्राप्त), 224/1/2/6, 224/1/2/7, 224/1/2/11 भूमि में लीज प्राप्त है। केशव के आबारी बस्ती लगभग 200 मीटर है। केशव के मन्दिर की लगभग दूरी 600 मीटर है। लीज के संबंध में आस्था केशव के मालिक द्वारा बताया गया कि उक्त ग्यारहनों में लीज 10 वर्ष हेतु 29/12/2021 को स्वीकृत हुयी है लेकिन भू-प्रवेश न होने के कारण कार्रवाई नहीं किया गया है।

पूछ-ताछ में यह भी स्पष्ट हुआ कि ग्राम मलुआ में केशव चालू नहीं। लीज इत्यादि के बारे में अन्य जानकारी स्पष्ट रूप में प्राप्त नहीं हो सकी। उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर निम्नानुसार हैं।

सन्तोष शर्मा
राजेन्द्र उपाध्याय
गौरी सिंह

सुरेन्द्र शर्मा
रामउजागर प्रजापति

[Signature]
पल्लू रामगढ़
12/7/2023
[Signature]
12-7-2023

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-रीवा (म.प्र.)

E-mail:- modgmrew@mp.gov.in

क्रमांक / / खनिज / 2023

रीवा, दिनांक.....

::आदेश::

प्रति,

Annexure - VII

श्री संतोष शर्मा

आत्मज श्री राजमणि शर्मा

निवासी - भलुहा पोस्ट रामनई तह. रायपुर कर्चुलियान

जिला रीवा (म0प्र0)

विषय :- जिला रीवा तहसील रायपुर कर्चुलियान ग्राम भलुहा के खसरा कं. 224/1ख/1, 224/1ख/3, 224/1ख/4, 224/1ख/6, 224/1ख/7, 224/1ख/11 रकवा 02.114 हे0 क्षेत्र (निजी भूमि) पर खनिज पत्थर (यांत्रिक किया के द्वारा गिट्टी निर्माण) हेतु उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र दिनांक 15.03.2021।

---XXX---

उपरोक्त विषयांतर्गत ग्राम भलुहा तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के खसरा कं. 224/1ख/1, 224/1ख/3, 224/1ख/4, 224/1ख/6, 224/1ख/7, 224/1ख/11 रकवा 02.114 हे0 क्षेत्र (निजी भूमि) पर खनिज पत्थर (यांत्रिक किया के द्वारा गिट्टी निर्माण) हेतु उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र दिनांक 15.03.2021 को प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में आवेदक के पक्ष में आवेदित क्षेत्र 02.114 हे0 में से रकवा 01.000 हे0 उपलब्ध पाए जाने पर कार्यालयीन पत्र कं. 5917 दिनांक 08.10.2021 द्वारा आवेदक को अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था। जिसके अनुपालन में राज्य सरकार के दिशा-निर्देश अनुसार आवेदक द्वारा अनुमोदित खनन योजना दिनांक 29.12.2021 को अनुमोदित होकर कार्यालय में प्राप्त हुई है। राजस्व, वन, ग्राम सभा से प्राप्त प्रतिवेदनों/सम्मति की अनुशंसा के आधार पर एवं कार्यालयीन मानचित्रकार द्वारा प्रतिवेदित उपलब्ध क्षेत्र रकवा 01.000 हे0 में म0प्र0 गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 18(2) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत निम्न शर्तों पर खनिज पत्थर (यांत्रिक किया के द्वारा गिट्टी निर्माण) का उत्खनिपट्टा स्वीकृत किया जाता है :-

1. आवेदक का नाम व पता :- श्री संतोष शर्मा आत्मज आत्मज श्री राजमणि शर्मा
निवासी - भलुहा पोस्ट रामनई तह. रायपुर कर्चुलियान
जिला रीवा (म0प्र0)

2. ग्राम व नाम :- ग्राम भलुहा तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के खसरा कं.
224/1ख/1, 224/1ख/3, 224/1ख/4, 224/1ख/6,
224/1ख/7, 224/1ख/11 रकवा 01.000 हे0

3. अवधि :- 10 वर्ष (दस वर्ष)

क्रमश :.....02

स्वीकृत किये गए उत्खनिपट्टा के संबंध में म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधानों एवं म0प्र0 राजपत्र दिनांक 23.03.2013 तथा दिनांक 22.01.2021 के अनुदेशों के अतिरिक्त निम्नानुसार शर्तें अधिरोपित की जाती हैं :-

1. शोध क्षमता पत्र एवं विधिक स्टाम्प में प्रति भूबंध- पत्र (नोटरी द्वारा प्रमाणित) प्रस्तुत करना होगा।
2. फर्म के वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों तथा प्रतिनिधियों के नियम पालन करने हेतु विधिक स्टाम्प (नोटरी द्वारा प्रमाणित) पर पृथक-पृथक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. स्वीकृत उत्खनिपट्टे के संदर्भ में म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 247(5) के तहत खनन कार्य प्रारम्भ करने हेतु भू-प्रवेश की अनुमति प्राप्त करना।
4. स्वीकृत उत्खनिपट्टे के संदर्भ में म.प्र. राजपत्र दिनांक 23.03.2013 एवं संशोधन नियम दिनांक 22 जनवरी 2021 समय-समय पर जारी शासन निर्देशों के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्रोप्त करना होगा।
5. रायल्टी, डेडरेण्ट आदि म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 में निहित प्रावधान के अंतर्गत एवं शासन द्वारा समय-समय पर की गई दर संशोधन के अनुसार देय होगी।
6. आपके विरुद्ध यदि कोई खनिज बकाया राशि है तो उसे अनुबंध निष्पादन के पूर्व जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
7. स्वीकृत क्षेत्र के संबंध में कोई न्यायालयीन प्रकरण होने पर संबंधित न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
8. स्वीकृत खदान क्षेत्र का सीमांकन खनिज विभाग, वन विभाग की उपस्थिति में तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान द्वारा कराया जावेगा। खदान सीमा पर खदान ठेकेदार द्वारा अपने व्यय से सीमेंट के मुनारे बनाकर उन पर क्रमवार नम्बर डाले जाएंगे। मुनारे स्थापित कराये जाने पर खनिज विभाग तथा वन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण उपरांत मुनारे सही पाये जाने पर ही ठेकेदार को खदान का कब्जा दिया जायेगा।
9. उत्खनिपट्टाधारी को म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30 (14) के अनुसार सम्पूर्ण हटाये जाने वाले खनिज की रायल्टी अग्रिम जमा करना होगा। वर्तमान में ई-ट्रांजिट पास प्रक्रिया के अनुसार अभिवहन पास जारी किये जायेंगे।
10. स्वीकृत खदान क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में 02 कि.मी. की परिधि के वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं होने का दायित्व उत्खनन पट्टाधारी का होगा, यदि आसपास के क्षेत्र में अवैध उत्खनन होता है,

कमश :.....3

तो उत्खनन की सूचना उत्खननपट्टाधारी द्वारा खनिज अधिकारी व वन मण्डलाधिकारी रीवा को तत्काल देना होगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्वीकृत क्षेत्र से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान से प्रभावित तो नहीं होता है।

11. म.प्र. राजपत्र दिनांक 23.03.2013 एवं संशोधन नियम दिनांक 22 जनवरी 2021 में संशोधित समस्त नियमों एवं प्रावधानों का पालन करना होगा।

अंतः यदि आपको उपरोक्त शर्तें मान्य हो तो उत्खनिपट्टा स्वीकृति दिनांक से तीन माह के अंदर नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अनुबंध कराते हुए भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत पंजीयन कराना होगा। जहां उपरोक्त कालावधि में ऐसे विलेख निष्पादन नहीं किया जाता है तो उत्खनिपट्टा मंजूरी का यह आदेश प्रतिसंहत (Revoke) समझा जावेगा।

(कलेक्टर महो० द्वारा आदेशित)

प्रभारी अधिकारी खनिज
हेतु कलेक्टर जिला रीवा म.प्र.
रीवा दिनांक : 16/05/2023


पृष्ठां. क्रमांक / 1643 / खनिज / 2023
प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन अभिकरण, पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल (म.प्र.)
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल रीवा म.प्र.।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा।
4. क्षेत्रीय प्रमुख, भौमिकी तथा खनिकर्म क्षेत्रीय कार्यालय रीवा म.प्र.।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय रीवा।
6. खनि निरीक्षक, तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म.प्र.।
7. ग्राम पंचायत भलुहा तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।



प्रभारी अधिकारी खनिज
हेतु कलेक्टर जिला रीवा म.प्र.

हाज दिनांक 04/07/2023 को ग्राम रामनई तह. रायपुर कुर्.
प्लॉट. 224/क/ब/रकवा - 02. एड. भोजपुर ह्यपित केशर मे. काखा
ए.रा.न केशर जे. संतोष शर्मा का संयुक्त रूपसे मण्डुविभागीय
अधिकारी राजलव मंगवा, अंजीप अधिकारी म.प. विधान
बोर्ड सेवा, जवनित अधिकारी सेवा, जयल तहसीलदार रायपुर कुर्.
द्वारा शिरीक्षण किया गया। व उक्त केशर के मंगामी
आदेश तक अ केशर का लालन संवदर कर अ केशर सुन्दर
के स्थल किया जाता है। उक्त आदेश का उल्लेखन
करने पर दुःखालोक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।


मण्डुविभागीय अधिकारी राजलव
मंगवा


जवनित अधिकारी
सेवा


अंजीप अधिकारी
म.प. विधान बोर्ड
सेवा


जयल तहसीलदार
रायपुर कुर्.

NI/Ts/EZ/RO/MPPCB/No. 261

Rewa, Dated: 02/11/10

REGIONAL OFFICE
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD
 HIG-190, NEHRU NAGAR COLONY, REWA 486001 (M.P.)

2532/RO/MPPCB/TECH//2010

Rewa, Dated: 02/11/10

✓ M/s. Astha Stone Crusher
 (Prop . Shri Santosh Sharma)
 Village.-Ramnai Tah. Raipur Karchulian
 District - Rewa (M.P.).

- b:- Consent of the Board under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act.1981.
 E- Your application No. Nil, dated 10.08.10.

With reference to your application for consent of the Board under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act.1981, the consent to operate is hereby granted for One year from first day of the month of commencement of production subject to the fulfillment of following terms and conditions:

1 This consent is valid for establishment and operation of stone crusher unit at Kh.No. 224/1rakwa 02 Aclare. at vill -Ramnai, Tehshil- Raipur Karchulian District -Rewa .

This consent is valid for product and production capacity of:

Product
 Stone Gitti --- 10,000 .MT /Yr.(Ten thousand Metric Tone per year only)

Industry shall inform the start of production at least one month in advance.

Industry shall have to implement the following pollution control measures as prescribed by EPA Notification before commissioning of production

- Dust containment cum suppression system including water spraying system for the equipment or unit.
- Construction of wind breaking walls of sufficient height.
- Construction of the metalled road with in the premises.
- Regular cleaning and wetting of the ground with in the premises.
- Growing of the green belt along the periphery.

The suspended particulate matter measured between 03 mtrs. and 10 mtrs. from any process equipment of a stone crushing unit shall not exceed 600 µg /m³ (Six hundred microgram per cubic meter). and shall ensure that the ambient air quality at the boundary of the factory premises, conform to the following limits :

- | | |
|---|----------------------------|
| a. Suspended Particulate Matter(10micron) | - 100 Microgram/ Cu. meter |
| b. So ₂ | - 80-do- |
| c. No _x | - 80-do |
| d. Co | - 5000 |

(2)

6. The suspended particulate matter measured between three mtrs. and ten mtrs. from any process equipment of a stone crushing unit shall not exceed 600 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Six hundred microgram per cubic meter).
7. Industry shall submit six monthly ambient air quality monitoring report to the Board
8. The industry shall do extensive tree plantation in and around the factory premises for improvement of the environment in general.
9. Industry shall make pucca approach road to factory, make boundary wall of sufficient height around the premises and install water spraying system for control of fugitive air pollution.
10. Industry shall have to submit environment statement as per provisions of environment (Protection) act.1986 for the previous year ending 31st. March on or before 30th Sept every year to the Board.
11. The industry shall take proper action to control the noise pollution. The noise level shall not exceed the limit 75 dB[A] during the day and 70 dB[A] during the night.
12. Any change in process, raw material used, production capacity, capital investment etc. shall be intimated to the Board. For any enhancement of above prior permission of the Board shall be obtained.
13. Board reserves the right to amend /cancel above conditions as and when deemed necessary.

This consent is valid for the stated period and has to be renewed every year. An application in this regard with annual license fee & point wise compliance of the consent conditions shall reach this office 4 months before the expiry of this consent.

Please acknowledge the receipt of this letter.

For and on behalf of the
M.P Pollution Control Board


(C.P. KHARE)

REGIONAL OFFICER

M.P.Pollution Control Board Rewa

XGN No. 25022 Dated 25/3/14

REGIONAL OFFICE
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD
HIG-190, NEHRU NAGAR, REWA (M.P.) 486001.

No. 645 /RO/MPPCB/TECH/E/2013

Rewa, Date 03/4/14

To. M/S. Astha Construction & Minerals (Stone Crusher)
Pro. Shri Santosh Sharma
Vill - Bhaluha, Tah-Raipurkarchulian
Distt- Rewa (M.P.)

Sub.: Renewal of Consent of the Board u / s 21 of Air (Prevention & control of Pollution)
Act 1981.

Ref.: Your application No.66564 Dated 11.11.13

With reference to your above application, the consent of the Board U/S.21 of Air (Prevention & control of Pollution) Act 1981 is hereby renewed for the period of three years from 01.02.12 to 31.01.15 subject to the fulfillment of terms and conditions incorporated in the consent letter No.2532/RO/MPPCB/TECH/EN/10 Rewa dt.02.11.10 issued to you by this office with additional conditions mentioned bellow :-

01. This consent is valid for product and production capacity of :

Stone Gitti -10000 M.T./Year (Ten Thousand Metric Tones Per Year only)

ADDITIONAL CONDITIONS

02. Industry shall have to implement the following pollution control measures as prescribed by EPA Notification with in 03 months from the date of issue of this letter.

- Dust containment cum suppression system including water spraying system for the equipment or unit.
- Construction of wind breaking walls of sufficient height.
- Construction of the metalled road with in the premises.
- Regular cleaning and wetting of the ground with in the premises.
- Growing of the green belt along the periphery.

03. The suspended particulate matter (SPM) measured between 03 mtrs. and 10 mtrs. from any process equipment of the stone crusher unit shall not exceed 600 µg/m³.

04. Industry shall submit ambient air quality monitoring report to the board once in six months.

05. Industry shall have to submit environmental statement as per the provisions of the Environment (Protection) Act 1986 for the year ending 31st march every year on or before 30th September to the board.

06. Any change in process, raw materials, production capacity, capital investment etc. shall be informed to the Board. For any enhancement of above prior permission of the Board shall be obtained.

Please acknowledge the receipt of this letter.

For and on behalf of the
M.P. Pollution control board

Pallu.
Regional Officer
M.P. Pollution Control Board
Rewa (M.P.)



Consent Order

M.P. Pollution Control Board – Rewa
 HIG - 190-191, Nehru Nagar Colony, Rewa
 (E-mail-ropcb-rewa@mp.gov.in & rorewa_pcb@rediffmail.com)

RED-SMALL

CCA-Renewal

VALIDITY (A/W):31/01/2025

CONSENT NO:

PCB ID-16939

Outward No:-15304,11/11/2022

Consent No:AW-106616

To,

The Occupier,

M/s Astha Construction & Minerals Stone Crusher, Category: Red/Small

Khasra. No. 224/1 Rakwa – 0.060 Hector ,

Village- Bhaluha, Tehsil- Raipur Karchuliyan, Distt - Rewa, (MP).

Subject: Renewal of **Consent** under section 25(5) of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 & under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981 .

Ref: Your renewal of Consent Application Receipt No. 1233652 Dt. 27/09/2022 .

With reference to your above application **renewal of consent** is here by granted up to **31/01/2025** subject to the fulfillment of the terms & conditions ,incorporated in the schedule of the consent issued to you by the Board vide consent /(CCA Operate) no:-AW-645/RO/MPPCB/TECH/dated 03/04/2014. along with the additional conditions mentioned below:

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

- a. Location:** Khasra. No. 224/1 Rakwa – 0.060 Hector ,Village- Bhaluha, Tehsil- Raipur Karchuliyan, Distt - Rewa (M.P.)
 Mobile No.7049053381. Latitude- 24.5602 Longitude- 81.4119.
- b. The capital investment in lakhs: Rs. 15.0**
- c. Product & Production Capacity:**

Product	Production Capacity
1. Stone Gitti	10,000.00 MT / Year (Ten Thousand MT /Year Only)

Note – 1. For any change in above industry shall obtain fresh consent from the board.

The Validity of the consent is up to **31/01/2025** and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-

- * Conditions under Water Act
- * Conditions under Air Act
- * General conditions

Regional Officer
 MPPCB-Rewa

Sending from UIDAI server
 Digitally Sign with Aadhaar

Signature Not Verified
 Digitally Signed by :
 PUSPENDRA SINGH,S.E.
 Date: 11/11/2022 02:31:10 PM

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
 TPAV # ID49RDY4GG

PUSHPENDRA SINGH
 Regional Officer



Consent Order

M.P. Pollution Control Board – Rewa
HIG - 190-191, Nehru Nagar Colony, Rewa
(E-mail-ropcb-rewa@mp.gov.in & rorewa_pcb@rediffmail.com)

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of trade effluent at out fall of the unit shall not exceed 0.0 KL/day, and the daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.500 KL/day

2. Trade Effluent Treatment:-

The applicant shall provide comprehensive effluent treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0	TDS	Not exceed	2100 mg/l.
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.	Chlorides	Not exceed	1000 mg/l.
BOD 3 Days 270C	Not exceed	30 mg/l.			
COD	Not exceed	250 mg/l.			
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.			

For other parameters general standards of discharge as notified under EP Act 1986 shall be applicable.

3. Sewage Treatment :- The applicant shall provide comprehensive sewage treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	10 mg/l.
BOD 3 Days 270C	Not exceed	10 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

Sr	Water Code (Qty in klpd - Kilo Ltr per Day)	WC : 3.0	WWG : 0.000	Water Source	Remark
1	Other Water Discharge	2.00	0.00	Bore well	
2	Domestic.....	1.00	0.50	Bore well	

4. The effluent shall be treated up to prescribed Standards and reuse in the process, for cooling and for green belt devolvement/gardening within premises. Hence zero discharge condition shall be practiced. In no case treated effluent sh. be discharged outside of industry/unit premises.

5. Any change in production capacity, process, raw material used etc. and for any enhancement of the above prior permission of the Board shall be obtained. All authorized discharges shall be consistent with terms and conditions of this consent. Facility expansions, production increases or process modifications which result new or increased discharges of pollutants must be reported by submission of a fresh consent application for prior permission of the Board

6. Compilation of Monitoring-

- Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
- Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.
- The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above and report online through XGN the same to the Board.

7. Recording of Monitoring-

- The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.
- The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:

Consent No:AW-106616

25



Consent Order

M.P. Pollution Control Board – Rewa

HIG - 190-191, Nehru Nagar Colony, Rewa

(E-mail-ropcb-rewa@mp.gov.in & rorewa_pcb@rediffmail.com)

- (i) The date, exact place and time of sampling
- (ii) The dates on which analysis were performed
- (iii) Who performed the analysis?
- (iv) The analytical techniques or methods used and
- (v) The result of all required analysis

iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.

iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

8. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

9. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relieve the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

10. Limitation of visible floating solids and foam:

During the period beginning date of issuance the applicant shall not discharge floating solids or visible foam.

11. Disposal of Collected Solid-

All hazardous waste/sludge shall be disposed of as per the Authorization issued under Hazardous & other waste Rules 2016. And/other Solids Sludges, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water. Any live fish, Shell fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

12. Provision for Electric Power Failure-

The applicant shall assure to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternative electric power source sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent.

13. Prohibition of By pass system-

The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent is prohibited except :

- i. where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or
- ii. Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.

14. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. The applicant shall provide comprehensive air pollution control system consisting of control equipment's as per the proposal submitted to the Board with reference to generation of emission and same shall be operated & maintained continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards:-

Consent No:AW

26



Consent Order

M.P. Pollution Control Board – Rewa
HIG - 190-191, Nehru Nagar Colony, Rewa
(E-mail-ropcb-rewa@mp.gov.in & rorewa_pcb@rediffmail.com)

2. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis: The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:

a	Particulate Matter (less than 10 micron) (PM ₁₀ µg/m ³ 24 hrs. basis)	-	100 microgram/ m ³
b	Particulate Matter (less than 2.5 micron) (PM ₂₅ µg/m ³ 24 hrs. basis)		60 microgram/ m ³
c	Suspended Particulate matter (between 3 to 10 microns)		600 microgram/ m ³
d	Sulphur Dioxide [SO ₂] (24 hrs. Basis)		80 microgram/ m ³
e	Nitrogen Oxides [NO _x] (24 hrs. Basis)		80 microgram/ m ³
f	Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis)		2000 microgram/ m ³

3. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

4. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.

5. All other fugitive emission sources such as leakages, seepages, spillages etc shall be ensured to be plugged or sealed or made airtight to avoid the public nuisance.

6. All the internal roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements. Good housekeeping practices shall be adopted to avoid leakages, seepages, spillages etc.

GENERAL CONDITIONS:

1. The non hazardous solid waste arising in the industry/unit/unit premises sweeping, etc. be disposed off scientifically so as not to cause any nuisance/pollution. The applicant shall take necessary permission from civic authorities for disposal to dumping site. If required.

Non Hazardous Solid wastes:-

Type of waste	Quantity	Disposal
Scrap/ Plastic packing material wood, card board, gunny bags etc		Sale to authorized party/As Per CPCB. MoEF Guide lines / Others.

2. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:

- To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the board.
- To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
- To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
- To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,
- To sample at reasonable times any discharge or pollutants.

3. This consent/authorization is transferable, in case of change of ownership/management and addresses of new Owner/partner/Directors/proprietor should immediately apply for the same.

4. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorize any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

5. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 or Authorization under the provisions of Hazardous and other Waste (Management & Transboundary movement) Rules 2016 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.



Consent Order

M.P. Pollution Control Board – Rewa
HIG - 190-191, Nehru Nagar Colony, Rewa
(E-mail-ropcb-rewa@mp.gov.in & rorewa_pcb@rediffmail.com)


6. Balance consent/authorization fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.
7. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not later than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorization
8. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.
9. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :
 - (a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
 - (b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
 - (c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.
10. On violation of any of the above-mentioned conditions & time the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Additional condition:- (if any) :-


S. No	Nos. of Plants to be planed	Targeted Time	Nos. of Plants Planted in compliance of consent conditions	details of action taken (if consent condition is not complied)
1.	10	03Month	50	Na

1. Industry shall make appropriate air pollution control equipment's at jaw crusher /vibrator / screen / rotary screen chamber & Water sprinkling System for wetting of ground within premises.
2. At the end point of dust conveyor belt , industry shall installed the telescopic chute .
3. It shall be ensured that these are always kept in running and in good working order all the time.
4. Industry shall make Wind breaking wall of 15 ft. height around Industry premises. Green belt should be developed around the crusher .
5. Good housekeeping practice shall be adopted and all the internal metallic roads shall be made.
6. PP shall insure that SPM measured between 3-10 meters away from any process equipment of stone crushing unit shall not exceed 600µg/M³.
7. If PP failed to comply above conditions so that consent should treated as null & void.

(Regional Officer)

 Sending from UIDAI
Digitally Sign with Aadhaar

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # ID49RDY4GG


PUSHPENDRA SINGH
Regional Officer

क्रमांक/1584/खनिज/2023
प्रति,

रीवा, दिनांक 09/05/2023

क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
रीवा (म0प्र0)



विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रकरण क्रं. 27/2023 (सी.जेड.), श्री अनुपम पटेल विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य के संबंध में जानकारी देने बावत्।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रं. 499/2023 रीवा दिनांक 04/05/2023।

---XXX---

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि मेसर्स आस्था स्टोन माईनिंग ग्राम रामनई तह. रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा को प्रदत्त की गई लीज के संबंध में तथा उसके द्वारा किये गए अवैध उत्खनन के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है :-

पट्टेधारक श्री संतोष शर्मा को ग्राम भलुहा तह. रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के ख.क्रं 310 रकवा 05.00 एकड अवधि. 10.01.2004 से 09.01.2009 एवं अवधि. 24.07.2010 से 23.07.2015 तक स्वीकृत थी। ग्राम रामनई तह. रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के ख.क्रं 224/1ख/1, 224/1ख/3, 224/1ख/4, 224/1ख/6, 224/1ख/7, 224/1ख/11 रकवा 01.000 हे0 क्षेत्र में सैद्धांतिक सहमति पट्टेधारक श्री संतोष शर्मा को प्रदान की गई है।

कार्यालयीन दस्तावेजों के परीक्षण उपरान्त ग्राम रामनई में अवैध उत्खनन का प्रकरण श्री संतोष शर्मा के पक्ष में पंजीबद्ध किया जाकर रुपये 1.00 लाख अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर वसूल किया गया है उपरोक्त के अलावा अन्य शिकायत कार्यालय में पंजीबद्ध नहीं है।

वांछित जानकारी सादर सम्प्रेषित है।

प्रभारी अधिकारी खनिज
हेतु कलेक्टर, जिला रीवा (म0प्र0)

2
15/5

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा (म.प्र.)

E-mail:- modgmrew@mp.gov.in

Annexure -XIII

क्रमांक/9311 /खनिज/2023

रीवा दिनांक 07/07/2023

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जिला रीवा (म0प्र0)



विषय:- माननीय एन.जी.टी. प्रकरण क्रमांक 166/2023 अनुपम पटेल विरुद्ध के संबंध में जानकारी बावत्।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 839 रीवा दिनांक 04.0.2023 के संबंध में।

--00--

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत संबंध में ग्राम रामनई तथा भलुहा ग्राम क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत व संचालित लीज की जानकारी संलग्नक 'अ' अनुसार है। उक्त क्षेत्र पर अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण पर की गई कार्यवाही का विवरण की जानकारी तालिका में वर्षवार संलग्नक 'ब' अनुसार है।

आपके द्वारा चाही गई जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा
हेतु कलेक्टर जिला रीवा (म.प्र.)

10/7

ग्राम रामनई तथा भलुहा ग्राम क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत व संचालित लीज की जानकारी

क्रं	पट्टेदार का नाम	खनिज का नाम	स्वीकृत खसरा	रकबा	ग्राम	तहसील	संलग्न 'अ' पट्टे की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रजनी प्रसाद मिश्रा	पत्थर/गिट्टी	224/1/च	01 एकड़	रामनई	रायपुर कर्चुलियान	02.08.2000 से 01.08.2005
2	लेखा सिंह	पत्थर/गिट्टी	224/1/ख	2.90 एकड़	रामनई	रायपुर कर्चुलियान	10.08.2003 से 09.08.2008
3	संतोष कुमार शर्मा	पत्थर/गिट्टी	310	05 एकड़	भलुहा	रायपुर कर्चुलियान	10.01.2004 से 09.01.2009
4	अर्चना मिश्रा	पत्थर/गिट्टी	310	02 एकड़	भलुहा	रायपुर कर्चुलियान	09.08.2004 से 08.08.2009
5	अर्चना मिश्रा	पत्थर/गिट्टी	310	02 एकड़	भलुहा	रायपुर कर्चुलियान	28.01.2006 से 27.01.2016
6	संतोष शर्मा	पत्थर/गिट्टी	310	05 एकड़	भलुहा	रायपुर कर्चुलियान	24.07.2010 से 23.07.2015
7	विनीता सिंह	पत्थर/गिट्टी	224/1/ग/3	0.315 एकड़	रामनई	रायपुर कर्चुलियान	25.06.2006 से 26.06.2015
8	लेखा सिंह	पत्थर/गिट्टी	224/1/ख/2	0.380 हे०	रामनई	रायपुर कर्चुलियान	15.09.2010 से 14.09.2015
9	मनीष सिंह पटेल	पत्थर/गिट्टी	310	2.50 एकड़	भलुहा	रायपुर कर्चुलियान	12.10.2010 से 11.10.2015
10	अर्चना मिश्रा	पत्थर/गिट्टी	310	0.810 हे०	भलुहा	रायपुर कर्चुलियान	28.01.2016 से 27.1.2021
11	संतोष शर्मा	पत्थर/गिट्टी	224/1ख/1, 224/1ख/3, 224/1ख/6, 224/1ख/7, 224/1ख/11, 224/1ख/4	01.000 हे०	भलुहा	रायपुर कर्चुलियान	10 वर्ष हेतु स्वीकृत
12	मे० नर्मदा लोका पत्थर, मुरुम, गिट्टी, पत्थर उत्खनन कार्य विक्रय सहकारी समिति मर्यादित रामनई	पत्थर/गिट्टी/ मुरुम/ढोका पत्थर	310/1	01.000 हे०	भलुहा	रायपुर कर्चुलियान	27.03.2023 से 26.06.2033


 प्रभारी अधिकारी, अखिल
 भारतीय किसान संघ,
 कलेक्टर, जिला, रायपुर (म.प्र.)
 कलेक्टर, जिला रायपुर

ग्राम रामनई तथा भलुहा क्षेत्र अंतर्गत अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण के प्रकरणों का विवरण।


संलग्न 'ब'

वर्ष	प्रकरणों की संख्या	प्रस्तावित अर्थदण्ड राशि	जमा अर्थदण्ड राशि	शेष बकाया राशि	रिमार्क
2015-16	अवैध उत्खनन	-	-	-	-
	अवैध परिवहन	35000.00	35000.00	0.00	-
	अवैध भण्डारण	0.00	0.00	0.00	0.00
2016-17	अवैध उत्खनन	0.00	0.00	0.00	-
	अवैध परिवहन	45000.00	45000.00	0.00	-
	अवैध भण्डारण	0.00	0.00	0.00	-
2017-18	अवैध उत्खनन	0.00	0.00	0.00	-
	अवैध परिवहन	67500.00	67500.00	0.00	-
	अवैध भण्डारण	0.00	0.00	0.00	-
2018-19	अवैध उत्खनन	0.00	0.00	0.00	-
	अवैध परिवहन	105000.00	105000.00	0.00	-
	अवैध भण्डारण	12500.00	12500.00	0.00	-
2019-20	अवैध उत्खनन	125000.00	125000.00	0.00	-
	अवैध परिवहन	42000.00	42000.00	0.00	-
	अवैध भण्डारण	0.00	0.00	0.00	-
2020-21	अवैध उत्खनन	65000.00	65000.00	0.00	-
	अवैध परिवहन	42000.00	42000.00	0.00	-
	अवैध भण्डारण	0.00	0.00	0.00	-
2021-22	अवैध उत्खनन	36000.00	36000.00	0.00	-
	अवैध परिवहन	0.00	0.00	0.00	-
	अवैध भण्डारण	0.00	0.00	0.00	-
2022-23	अवैध उत्खनन	30000.00	30000.00	0.00	-
	अवैध परिवहन	0.00	0.00	0.00	-
	अवैध भण्डारण	0.00	0.00	0.00	-
योग	25	605000.00	605000.00	0.00	0.00

Annexure – XIV

Untitled Map
Write a description for your map.

- Legend**
- 24.559933 81.411921
 - Faith Bricks Industries
 - Feature 1
 - Govt. school ramnai
 - Ma karmasin Mandir






GPS Map Camera




Ror, Madhya Pradesh, India
Bhaluha Road Ramnai, Raipurkarchuliyan, Ror, Madhya Pradesh
486114, India
Lat 24.560354°
Long 81.411992°
04/07/23 01:20 PM GMT +05:30



GPS Map Camera



Ror, Madhya Pradesh, India
Bhaluha Road Ramnai, Raipurkarchuliyan, Ror, Madhya Pradesh
486114, India
Lat 24.560254°
Long 81.41199°
04/07/23 12:15 PM GMT +05:30




GPS Map Camera



Ror, Madhya Pradesh, India
Bhaluha Road Ramnai, Raipurkarchuliyan, Ror, Madhya Pradesh
486114, India
Lat 24.560212°
Long 81.411952°
04/07/23 12:16 PM GMT +05:30

At the site of M/S Astha Stone Crusher.




Ror, Madhya Pradesh, India

Bhaluha Road Ramnai, Raipurkarchuliyan, Ror, Madhya Pradesh
486114, India

Lat 24.560232°

Long 81.411962°

04/07/23 12:16 PM GMT +05:30



Ror, Madhya Pradesh, India

Bhaluha Road Ramnai, Raipurkarchuliyan, Ror, Madhya Pradesh
486114, India

Lat 24.560275°

Long 81.411931°

04/07/23 01:15 PM GMT +05:30




Ror, Madhya Pradesh, India

NH30, Ror, Madhya Pradesh 486114, India

Lat 24.567784°

Long 81.408858°


04/07/23 02:13 PM GMT +05:30



GPS Map Camera




Ror, Madhya Pradesh, India
Bhaluha Road Ramnai, Raipurkarchuliyan, Ror, Madhya Pradesh
486114, India
Lat 24.560223°
Long 81.411965°
04/07/23 12:16 PM GMT +05:30



GPS Map Camera






Ror, Madhya Pradesh, India
Bhaluha Road Ramnai, Raipurkarchuliyan, Ror, Madhya Pradesh
486114, India
Lat 24.560223°
Long 81.411965°
04/07/23 12:16 PM GMT +05:30




GPS Map Camera



Ror, Madhya Pradesh, India
Bhaluha Road Ramnai, Raipurkarchuliyan, Ror, Madhya Pradesh
486114, India
Lat 24.560223°
Long 81.411965°
04/07/23 12:16 PM GMT +05:30




The Mining on the Hill.



GPS Map Camera




Ramnai, Madhya Pradesh, India
01, Ramnai, Madhya Pradesh 486114, India
Lat 24.5575°
Long 81.40773°
04/07/23 01:31 PM GMT +05:30



GPS Map Camera




Ramnai, Madhya Pradesh, India
01, Ramnai, Madhya Pradesh 486114, India
Lat 24.557515°
Long 81.40772°
04/07/23 01:31 PM GMT +05:30



GPS Map Camera




Ror, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Ror, Madhya Pradesh 486114, India
Lat 24.567849°
Long 81.408737°
04/07/23 02:13 PM GMT +05:30




GPS Map Camera

Ror, Madhya Pradesh, India
Bhaluha Road Ramnai, Raipurkarchuliyan, Ror, Madhya Pradesh
486114, India
Lat 24.55998°
Long 81.412355°
04/07/23 12:17 PM GMT +05:30




GPS Map Camera

Ror, Madhya Pradesh, India
Bhaluha Road Ramnai, Raipurkarchuliyan, Ror, Madhya Pradesh
486114, India
Lat 24.56013°
Long 81.411865°
04/07/23 12:19 PM GMT +05:30




GPS Map Camera


Bhaluhi, Madhya Pradesh, India
HC38+H7R, Bhaluhi, Madhya Pradesh 486114, India
Lat 24.555121°
Long 81.414426°
04/07/23 12:30 PM GMT +05:30



Ramnai, Madhya Pradesh, India
01, Ramnai, Madhya Pradesh 486114, India
Lat 24.559279°
Long 81.40866°
04/07/23 01:59 PM GMT +05:30



Ramnai, Madhya Pradesh, India
01, Ramnai, Madhya Pradesh 486114, India
Lat 24.559385°
Long 81.408572°
04/07/23 01:59 PM GMT +05:30



Ror, Madhya Pradesh, India
Bhaluha Road Ramnai, Raipurkarchuliyan, Ror, Madhya Pradesh
486114, India
Lat 24.560414°
Long 81.411923°
04/07/23 01:30 PM GMT +05:30



क्षेत्रीय कार्यालय

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

एच.आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)

Tel / Fax : (07662) 230605 E-mail : ropcb-rewa@mp.gov.in

क्रमांक / 559 / क्षे.का / तक. / प्रनिबो / 2023

रीवा, दिनांक..... 12/05/23

प्रति,

में. आस्था कान्सट्रक्शन एण्ड मिनरल्स स्टोन क्रेशर
(प्रो. श्री संतोष शर्मा)
ग्राम -भलुहा, तहसील - रायपुर कर्चुलियान
जिला रीवा (म.प्र.)

आदेश

विषय :- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत बंद करने के निर्देश।

संदर्भ :- 1. दिनांक 15.04.2023 एवं 09.05.2023 को किया गया निरीक्षण।
2. बोर्ड द्वारा जारी सम्मति पत्र दिनांक 11.11.2022
3. उद्योग का पत्र दिनांक 12.05.2023

यह कि आपके द्वारा में में. आस्था कान्सट्रक्शन एण्ड मिनरल्स स्टोन क्रेशर का संचालन ग्राम-भलुहा तहसील-रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा (म.प्र.) में पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना करते हुए संचालन किया जा रहा है एवं :-

1. बोर्ड द्वारा आपको सम्मति नवनीकरण प्रदत्त किया गया था।
2. इस कार्यालय के अधिकारी द्वारा स्टोन केसर का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि आपको प्रदत्त सम्मति नवीनीकरण की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है।
3. स्टोन क्रेशर में निम्न उल्लंघन पाया गया :-
 1. उद्योग को जल छिड़काव की व्यवस्था का संचालन नहीं पाया जाना।
 2. गिट्टी पत्थर की भंडारण की अनुमति न होना।
 3. खदान के लिये बोर्ड से सम्मति प्राप्त न करना।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के प्रावधानुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार निर्देश दिए जा रहे हैं :-

1. यह कि तत्काल प्रभाव से उद्योग का संचालन बंद करे।
2. संबंधित विभागों द्वारा उद्योग को प्राप्त हो रही जल आपूर्ति, बिजली सप्लाई एवं अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से बंद की जावे।

3. आपके द्वारा विद्युत कनेक्शन नहीं लिया गया है, आप स्टोन केसर को डीजल इंजन से चला रहे हैं, उसे स्थल से तत्काल हटायें।
4. म.प्र. खनिज संसाधन विभाग से भण्डारण एवं अन्य जो भी सुविधा खनिज विभाग से दी से दी गई है, तत्काल प्रभाव से की जावें।

यदि उद्योग या संबंधित व्यक्ति द्वारा उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना की जाती है, तो उद्योग प्रबंधन (उद्योग संचालन हेतु जिम्मेदार व्यक्ति)/संबंधित के विरुद्ध वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 के तहत न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी एवं यह जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, कृपया सूचित हो।

पृ.क्रमांक / 559 B / क्षे.का / तक. / प्रनिबो / 2023
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला रीवा की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. अधीक्षण यंत्री म.प्र. पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण केन्द्र रीवा की ओर पर्यावरणीय नियमों के परिपेक्ष्य में जारी आदेश का पालन करते हुए स्टोन केसर संचालक द्वारा डीजल इंजन से स्टोन केसर का संचालन करते रहे अतएव तत्काल प्रभाव से डीजल इंजन जप्त किया जावे।
3. खनिज अधिकारी खनिज शाखा रीवा की ओर लेख है कि खदान के पास बोर्ड की अनुमति न होना ना ही भंडारण की अनुमति पाई गई इस प्रकार पर्यावरणीय नियमों के परिपेक्ष्य में जारी आदेश का पालन करते हुए आपके विभाग से दी गई सुविधा स्थगित करने का कष्ट करे।

(डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

रीवा (म.प्र.)



रीवा, दिनांक 12/5/23




(डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह)


क्षेत्रीय अधिकारी

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

रीवा (म.प्र.)







GPS Map Camera


Ror, Madhya Pradesh, India

Bhaluha Road Ramnai, Raipurkarchuliyan, Ror, Madhya Pradesh
486114, India

Lat 24.560047°

Long 81.412065°

09/05/23 11:31 AM GMT +05:30



GPS Map Camera


Ror, Madhya Pradesh, India

Bhaluha Road Ramnai, Raipurkarchuliyan, Ror, Madhya Pradesh
486114, India

Lat 24.560202°

Long 81.41216°

09/05/23 11:29 AM GMT +05:30



GPS Map Camera

Ror, Madhya Pradesh, India

Bhaluha Road Ramnai, Raipurkarchuliyan, Ror, Madhya Pradesh
486114, India

Lat 24.559936°

Long 81.411962°

09/05/23 11:30 AM GMT +05:30

आस्था कांस्ट्रक्शन एण्ड मिनिस्ट्रल्स

रामनई भलुहा, रायपुर कर्चु. जिला-रीवा (म.प.) मो.-7049019840 Page-①

क्रमांक

दिनांक 12/5/23

प्रति

श्रेष्ठीय आधिकारी

विषय - स्रोत क्षेत्र बन्द होने की सूचना
 तथा अन्य इस्तिकेज जमा करने के सम्बन्ध में

उत्पाका निम्नानुसार निर्दिष्ट दिनांक 8-5-2023 में
 चाही गई जानकारी

महोदय, आपके द्वारा चाही गई जानकारी नीचे

दी जा रही है -

1. वर्तमान सरपंच का पत्र दिनांक 20-8-2022 जिसमें उनके द्वारा लिखा गया है कि 2022 के पहले स्रोत क्षेत्र कई वर्षों से बन्द था।
2. रामनई के पूर्व सरपंच का पत्र दिनांक 20-6-22 के द्वारा सूचना दी गई है कि 31-5-2015 तक स्रोत क्षेत्र का सेवामत रखा है।
3. पूर्व सरपंच द्वारा 25-6-2022 के पत्र के माध्यम से उत्पाकित प्रमाण पत्र निम्न क्षेत्र सेवामत हेतु दिया गया है।
4. वर्ष 2007 में भूमिका का डायवर्सन कराया गया था जो प्रस्तुत कराया जा रहा है।

सन्तोष शर्मा

आस्था कांस्ट्रक्शन एण्ड मिनिरल्स

रामनई भलुहा, रायपुर कर्चु, जिला-रीवा (म.प.) मो.-7049019840 Page-2

क्रमांक

दिनांक 22/5/23

5. मप्र प्रो नि बोर्ड से अनुमति प्राप्त हुई थी जो 31/11/2015 तक भी पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
6. गांव के श्री नरोत्तम भापय, श्री प्रदीप केकर, श्री राजेश उपर्या, श्री वृजेस केकर, तथा श्री प्रिनसद केकर द्वारा शपथपत्र में लिखकर दिखाया है कि शोन केकर से प्रस्ताव श्री उनके भेरे स्मृता नहीं है, उनके द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किए गये हैं जो प्रस्तुत है।
7. माहीका अधिकारी द्वारा 9-1-2015 तक उत्खनन पट्टा दिखाया था जो प्रस्तुत किया जा रहा है।
8. कई वर्षों से शोन केकर का फरारी कार्व अप्रैल में मेरे द्वारा शोन केकर का खेचालन किया गया था।
9. मुझे परीक्षण स्वीकृत खदान हेतु 6.14.2023 को प्राप्त हो गई है बोर्ड से अनुमति खदान भी प्राप्त करते हेतु स्थापना अनुमति का अनुरोध किया गया है।
10. झारी खदान को तथा शोन केकर का खेचालन नहीं किया जा रहा जब तक बोर्ड से अनुमति प्राप्त हो जाती है तब तक खदान का खेचालन या खेचालन किया गया है।

सन्तोष शर्मा

आस्था कांस्ट्रक्शन एण्ड मिनिरल्स

रामनई भलुहा, रायपुर कर्चु, जिला-रीवा (म.प.) मो.-7049019840 Page- 3

दिनांक 22/5/23

क्रमांक

11. मेरे इलाका विद्युत का कनेक्शन नहीं त्रिपागपाई 06 सेर से चलाया गया था जब इलाका ही मिनिरल्स अनुमति प्राप्त हो जाएगी तो विजली का कनेक्शन लेगे।
12. स्थान क्षेत्र के पट्टी के पीछे गांव है, जो लगभग 1 किलोमीटर ही दूरी पर है, स्थान क्षेत्र के सामने बन्दर खाली भूमि है आधा किलोमीटर पर भेन रोड है तथा बाएँ दिशा में खाली भूमि पर पट्टी भूमि है। यह कहना गलत है कि स्थान क्षेत्र के आधा किलोमीटर पर गांव या सड़क बस्ती है।
13. सिमापत कर्ता एक पत्रकार है जो स्थान क्षेत्र से लगभग 40-50 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं इनका मेरे स्थान क्षेत्र के मिनिरल्स प्रकरण दर्ज करने का उद्देश्य मुझे बात नहीं है।
14. मेरे स्थान क्षेत्र पर प्रदूषण नियंत्रण भी पूरी व्यवस्था की गई है।
15. जिसदिन पत्रकार मखेदय द्वारा फोटो लिए गए उस दिन जलकिस्रत भी व्यवस्था नहीं चल रही थी इसलिए उस फोटो के दिख रहे हैं।
16. प्रतिदिन अगर स्थान क्षेत्र चलते हैं तो लगभग 3 एक मिट्टी बनाई जाती है जो लगभग 30 टन के आकार की होती है यह बहुत छोटा स्थान क्षेत्र है और धारे पत्थर के भरण पोषण हेतु लगाया गया था, खदान की अनुमति न होने के कारण बन्द रखा गया था।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-रीवा

क्रमांक / 2350 / खनिज / 2023

रीवा दिनांक - 14.07.2023

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जिला रीवा (म.प्र.)




विषय :- माननीय एन.जी.टी. के प्रकरण क्रमांक 166/2023 संबंध में ।

संलग्न :- आपका पत्र क्रमांक 873 दिनांक 10.07.2023.

--X-X-X--

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत आपके द्वारा चाही गई जानकारी माननीय एन.जी.टी. के प्रकरण क्रमांक 166/2023 के संबंध में पर्यावरणीय अनुमति (सिया) की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


प्रभारी अधिकारी खनिज
हेतु कलेक्टर जिला रीवा (म.प्र.)

Q
17/7



Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment
Authority (SEIAA), MADHYA PRADESH)

To,

The DIRECTOR
SANTOSH SHARMA
VILLAGE BHALUHA, TEHSIL RAIPUR-KARCHULION DISTRICT REWA
(M.P.) -486114

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity
under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC)
in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number
SIA/MP/MIN/401884/2022 dated 14 Nov 2022. The particulars of the environmental
clearance granted to the project are as below.

1. EC Identification No.	EC23B001MP184028
2. File No.	9441/2022
3. Project Type	New
4. Category	B
5. Project/Activity including Schedule No.	1(a) Mining of minerals
6. Name of Project	RAMNAI CRUSHER STONE QUARRY
7. Name of Company/Organization	SANTOSH SHARMA
8. Location of Project	MADHYA PRADESH
9. TOR Date	N/A


The project details along with terms and conditions are appended herewith from page
no 2 onwards.

Date: 06/04/2023

(e-signed)
Shri, Mujeebur Rehman Khan
Member Secretary
SEIAA - (MADHYA PRADESH)

*Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification
number & E-Sign generated from PARIVESH. Please quote identification
number in all future correspondence.*

This is a computer generated cover page.



संदर्भ: प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/401884/2022 - प्रकरण क्र. 9441/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री संतोष शर्मा आत्मज श्री राजमणी शर्मा, निवासी - ग्राम भलुआ, तहसील कर्चुलियान, जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 4241 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 224/1ख/1, 224/1ख/3, 224/1ख/4, 224/1ख/6, 224/1ख/7, 224/1ख/11 रकबा 1.00 हेक्टेयर, ग्राम रामनई, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरांत के संशोधनों तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा समय-समय पर जारी ज्ञापनों के परिपालन में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया अनुरूप परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव (क्र. SIA/MP/MIN/401884/2022 एवं MP SEIAA में पंजीयन दिनांक 22.11.2022) एवं संबंधित अनिवार्य दस्तावेजों के आधार पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया।

II कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला रीवा के एकल पत्र क्र. 959 दिनांक 20.04.2022 के अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता/पारिस्थितिकी संवेदी जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र की दूरी 250 मी. की परिधि के बाहर स्थित है। आपके द्वारा प्राप्त अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अक्षांश 24°33'31.77" से 24°33'34.87" और देशांतर 81°24'43.47' से 81°24'38.13' भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित है।

III. परियोजना पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त पैरा (II) के अनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई अभिप्रमाणित जानकारी तथा दस्तावेजों के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) की 777वीं बैठक दिनांक 28.03.2023 में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 में प्रकरण पर की गई अनुशंसा के आधार पर विशिष्ट, साधारण/मानक शर्तें अधिरोपित करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक श्री संतोष शर्मा आत्मज श्री राजमणी शर्मा, निवासी - ग्राम भलुआ, तहसील कर्चुलियान, जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 4241 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 224/1ख/1, 224/1ख/3, 224/1ख/4, 224/1ख/6, 224/1ख/7, 224/1ख/11 रकबा 1.00 हेक्टेयर, ग्राम रामनई, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म.प्र.)। राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र. एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों और तदुपरांत मानक शर्तों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(अ) विशिष्ट शर्तें:

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रीवा के पत्र क्र. 5417 दिनांक 08.10.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07.10.2031 तक वैध मान्य रहेगी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन आबादी वाले क्षेत्र से नहीं किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, खमेर, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय।	300
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	काला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय। ट्री गार्ड के साथ-	400
3	तमरी स्कूल, पंचायत एवं आंगनवाड़ी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक	50
4.	तमरी एवं बेलहा के ग्राम वासियों में वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरुद एवं नीम	450
कुल			1200

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम रमनई के शासकीय प्राथमिक स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्र की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनवाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

5. संबंधित जिले के जिला खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित खदान हेतु उल्लेखित खनिज की कुल मात्रा से अधिक का उत्खनन न हो।
6. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन'भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारों ओर की जाये।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चारों ओर चेतवनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षामार्ग की व्यवस्था की जायेगी।
12. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
13. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
15. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतवनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू-दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिजपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनिज पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
19. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
20. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
21. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माइनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनिज पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

23. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
26. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
27. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लारिस्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लारिस्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा।
29. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिये बजटीय प्रावधान रु. 05.63 लाख एवं पूंजी रु. 1.40 लाख प्रतिवर्ष प्रस्तावित है।
32. खनन कार्य स्वीकृत खान योजना एवं प्रस्तावित भू उपयोग के अनुसार किया जाये। खनन सुरक्षा हेतु महानिदेशालय द्वारा निर्धारित डेंजर जोन (500मी.) के विनियमों का भी अनिवार्य रूप से पालन किया जाये एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिये आवश्यक उपाय किये जायें।
33. स्वीकृत खनन क्षेत्र का सीमांकन अंक्षाश एवं देशांतर दर्शाते हुये बाउन्ड्री पिलर पर सीमा चिन्ह द्वारा किया जाये एवं खनन क्षेत्र के चारो ओर फेन्सिंग करवाई जाये। खनन क्षेत्र में सूचना पटल पर खदान की जानकारी एवं सुरक्षा उपायों का दर्शया जाये।
34. धूल के दमन के हेतु पट्टा क्षेत्र से बाहर निकलने वाले वाहनों पर पानी छिड़काव हेतु सोलर पंप/पानी के टैंकों के साथ आवेरेहेड स्प्रींकलर और निकासी सड़क पर निश्चित प्रकार के स्प्रींकलर की व्यवस्था की जानी चाहिये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा एक लॉग बुक रखी जाये जिसमें पानी के छिड़काव और वाहन की आवाजाही का दैनिक विवरण दर्ज किया जाये।

35. खनिज का परिवहन केवल आवश्यक नमी वाले ढके हुये पी.यू.सी प्रमाणित वाहनों में किया जाये, जिससे निर्धारित निर्गम स्थलों पर होने वाले फुगिटिव (Fugitive) उत्सर्जन को रोका जासके।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निकासी सड़क को पक्का (WBM/Black top) बनाया जाये।
37. खनन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPPCB) से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाये एवं MPPCB के निर्देश के अनुसार वायु/जल प्रदूषण नियंत्रण उपायो को स्थापित करें।
38. इनबिल्ट एपी.सी.डी और वाटर स्पिंकलिंग सिस्टम के साथ क्रेशर सड़क से न्यूनतम 100मी. दूर और बसाहट से 500 मीटर की दूरी, पर म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बाद ही फुगिटिव उत्सर्जन से बचने के उपयुक्त सामग्री की कम से कम 04 मी. ऊंची विंड ब्रेकिंग वॉल के साथ स्थापित किया जाये।
39. लोडिंग मशीनों की कार्य ऊंचाई बेंच कॉन्फिगरेशन के अनुसार युक्तिसंगत हो।
40. ठोस कारतूस की जगह घोल मिश्रित विस्फोटक (SME) का उपयोग किया जाये।
41. ओवर बर्डन का पुनः उपयोग सड़क के रखरखाव के लिये किया जाये, परियोजना प्रस्तावक आई.बी.एम द्वारा अनुमोदित अंतिम क्लोजर प्लान का अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा।
42. क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिये समुचित कार्य किये जाये एवं इसके लिये आरक्षित निधि का उपयोग ग्राम पंचायत/संक्षम प्राधिकारी के माध्यम से किया जाये।
43. श्रमिकों का छहः मासिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाये एवं श्रमिको को आवश्यक पी.पी.ई किट प्रदान किया जाये। तथा श्रमिको/कर्मचारियों के लिये विश्राम आश्रय, प्राथमिक चिकित्सा, उचित अग्निशमन उपकरण और शौचालय (पुरुष और महिला के लिये अलग) जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी प्रदान की जाये। खदान के कार्यालय/विश्राम गृह इत्यादि को सोलर लाईट द्वारा रोशन और हवादार किया जाये।
44. वित्तीय जवाबदेही के लिये परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएमपी और सीईआर गतिविधियों में किये गये सभी व्यय के लिये एक अलग बैंक खाता रखा जाना जाये एवं इसका विवरण वार्षिक पर्यावरण विवरण में दिया जाये। यदि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये मेटेगेटिव उपायों के लिये आवंटित ई.एम.पी बजट का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका विवरण वार्षिक प्रतिवेदन में किया जाये।
45. कंपनी से बचने के लिये ब्लारिस्टिंग के दौरान कोई ओवरचार्जिंग नहीं की जाये केवल मफल ब्लारिस्टिंग को ही अपनाया जाये। ब्लारिस्टिंग केवल प्रमाणित ब्लारिस्टर के माध्यम से की जाये और संक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना खदान स्थल पर विस्फोटक भंडारन न किया जाये।
46. खदान के पानी को खनन क्षेत्र से बाहर न छोड़ा जाये अपितु उसका उपयोग छिड़काव एवं वृक्षारोपण के लिये किया जाये। अपवाह और वर्षा जल के लिये उपयुक्त आकार के गारलैण्ड ड्रेन और सेटलिंग टैंक (SS Pattern) की व्यवस्था की जाये।
47. सभी गारलैण्ड ड्रेन को सेटलिंग पिट्स के माध्यम से सेटलिंग टैंक से जोड़ा जाये एवं बचे हुये पानी का उपयोग धूल दमन, हरित पट्टी विकास और लाभकारी संयंत्र (Beneficiation Plant) के लिये किया जाये। नालों और गड्ढों की गाद निकालने का कार्य नियमित रूप से किया जाये।
48. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEIAA/SEAC में जमा किये गये दस्तावेजों में विसंगति के लिये स्वयं जिम्मेदार होगा।
49. खनन पट्टा क्षेत्र में गड्ढें एवं भूमि के पुनरुद्धार की राशि का उपयोग खनन विभाग के माध्यम से किया जाये। खनन कार्य समाप्ति के उपरांत खदान के पुनरुद्धार के लिये खनन विभाग द्वारा अनुमानित उचित राशि को कलेक्टर के शासकीय कोष में जमा कराया जाये।

50. पट्टा क्षेत्र में किसी भी पेड़ को काटने/उखाड़ने से पहले वन विभाग एवं पानी की आवश्यकता/उपयोग हेतु ग्राम पंचायत की अनापत्ति (एन.ओ.सी.) प्राप्त की जाये।
51. ऐसे पट्टे जो वन क्षेत्र के 250मी. की परिधि के अंदर आ रहे हैं एवं परियोजना प्रस्तावक ने संभाग स्तरीय आयुक्त समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तो समिति द्वारा निर्धारित सभी शर्तों पालन सुनिश्चित किया जाये।
52. परियोजना में विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और प्रस्तावित खनन ईकाई में उत्पाद मिश्रण एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिये नवीन पर्यावरण स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
53. अस्थायी अनुज्ञा (IP) के प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता केवल टीपी की वैधता तक रहेगी एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान समापन योजना का पालन सुनिश्चित करना होगा।
54. सभी खदाने जहां उत्पादन > 50000 घन मीटर/वर्ष है, उनमें परियोजना प्रस्तावक बजट आवंटन के साथ पर्यावरण प्रबंधन परियोजना (ई.एम.पी) और कार्पोरेट इन्वायमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CER) में प्रस्तावित विभिन्न खनन संबंधी गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिये अपनी वेबसाइट विकसित करे एवं विभिन्न गतिविधियां जैसे गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक, वृक्षारोपण, पानी के छिड़काव की व्यवस्था, परिवहन एवं सड़क को ठीक करना आदि का छमाही प्रगति प्रतिवेदन इस वेबसाइट एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी अपलोड करे एवं वेबसाइट के नियमित रख-रखाव एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक या खनन प्रबंधक की होगी।
55. सभी प्रकार के मृदा खनन, की अधिकतम गहराई सामान्य जमीनी स्तर से 02 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य प्रावधान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ओ.एम नंबर एल-11011/47/2011-आईए-II (एम) दिनांक 24/06/2013 के अनुसार मान्य होगा।
56. खनन पट्टाधारक खनन कार्य को बंद करने के बाद खनन क्षेत्र और किसी भी अन्य क्षेत्र जो उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित हो सकते हैं, उनमें फिर से पुनः इस ऐसी स्थिति में बहाल करेगा जो कि घास, वनस्पतियों इत्यादि के विकास के लिए उपयुक्त हो। इसके लिये, एम.ओ.ई.एफ. एंड.सी.सी के पत्र एफ. सं. 22-34/2018-आई.ए. III दिनांक 16/01/2020 अनुसार ई.एम.पी और सी. ई.आर अंतर्गत एक अलग बजट सुरक्षित करें।
57. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या Z&11013/57/2014-IA II (एम) दिनांक 29 अक्टूबर 2014 शीर्षक "आवासों पर खनन गतिविधियों का प्रभाव, खनन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे, जिसमें बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्रों का हिस्सा हैं या बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्र से घिरे हुए हैं" में दिए गए मिटिगेटिव उपायों का पालन करेगा।
58. पत्राचार के पते में कोई भी परिवर्तन के लिये 30 दिनों के अंदर सभी नियामक प्राधिकरण को सूचित करेगा।
59. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आवाजाही) नियम, 2016 के तहत यदि आवश्यक हो तो ऑथराइजेशन प्राप्त करेगा।
60. खदान में प्रवेश के समय परियोजना के संबध में एक डिस्प्ले बोर्ड निम्नलिखित विवरण के साथ लगाना अनिवार्य होगा :
 - खदान के मालिक का नाम ,संपर्क विवरण आदि।
 - परियोजना का खनन पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर में) मय अक्षांश देशांश।
 - खदान की लम्बाई, चौड़ाई एवं स्वीकृत गहराई।
 - पर्यावरण स्वीकृति एवं एमपीपीसीबी की कन्सेन्ट अनुसार परियोजना की स्वीकृत उत्पादन क्षमता।


- खनन विधि (मैनुअल/सेमी मैकेनाइज्ड) एवं ब्लास्टिंग अथवा नॉन ब्लास्टिंग।
 - वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. गतिविधियां।
61. ई.एम.पी के अंतर्गत प्रावधानित बजट अनुसार खदान के 7.5 मीटर बैरियर जोन में सघन वृक्षारोपण संबंधित सी.सी.एफ (सामाजिक वानिकी) के मार्गदर्शन अनुसार एवं डी.एफ.ओ/ग्राम पंचायत/कृषि विभाग या पर्याप्त विशेषज्ञता रखने वाली किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी से कार्य की अनुमति तथा वन विकास निगम/वन समिति जैसे वन रेंज अधिकारी की निगरानी में किया जायें।
 62. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जमा की गई वृक्षारोपण योजना अनुसार खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में प्रस्तावित पूर्ण वृक्षारोपण किया जाये एवं फेन्सिंग के किनारों पर स्थानीय प्रजाति जैसे नीम, अरंडी बबूल, चिरूल आदि के बीज बोये जायें एवं वृक्षों की सुरक्षा एवं संरक्षण भी किया जाये।
 63. पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए सतही मिट्टी का उपयोग किया जाए एवं पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई ओ.बी. डंप (Over burden) न किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को खनन कार्यों के शुरुआती तीन वर्षों में वृक्षारोपण गतिविधि पूर्ण करे एवं हताहत/मृत पौधों के प्रतिस्थापन सहित पूरे खनन जीवन के लिए उन्हें बनाए रखा जायें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण और करणीय प्रतिस्थापन के वार्षिक विवरण हेतु एक लॉग बुक रखी जाये एवं खनन कार्य के दौरान किसी भी वनस्पतियों, जीवों इत्यादि को कोई हानि न हो, इस हेतु पर्याप्त सावधानी बरती जाये। पी.पी. द्वारा वन भूमि में संभावित अतिरिक्त वृक्षारोपण वनमंडलाधिकारी के माध्यम से किया जाये एवं निर्धारित बजट भी वनमंडलाधिकारी को हस्तांतरित किया जाये।
 64. संबधित ग्राम क्षेत्र की सामुदायिक भूमि अथवा बंजर वन भूमि पर ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय मिश्रित प्रजातिया जैसे वार्षिक, बारहमासी घास/चारा, वृक्ष की प्रजातियाँ रोपित की जाये जिससे चरागाह विकसित हो सके एवं खनन कार्य के उपरांत इस विकसित चरागाह को ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाए।
 65. पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले कम से कम 100 पौधे और अधिकतम वृक्षारोपण योजना अनुसार आस-पास के ग्रामीणों को चारा/देशी फल देने वाली प्रजातियों के पौधे सामाजिक वानिकी नर्सरी/सरकारी बागवानी नर्सरी से प्राप्त कर वितरित किए जाए। यह गतिविधि म.प्र. सरकार की "अंकुर योजना" के अंतर्गत "वायुदूत ऐप" पर व्यक्तिगत ग्रामीणों को पंजीकृत कर की जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिन स्थानों पर औषधि वाटिका (Meditional Garden) प्रस्तावित है, उन स्थानों (स्कूल/आंगनवाड़ी प्रांगण) पर न्यूनतम 50 पौधे रोपित किये जाये एवं इस प्रकार विकसित किये जाये कि उनका सरवाइवल 80 प्रतिशत तक हो।
 66. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपित पेड़-पौधों की सिंचाई हेतु पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाये।
 67. बी-1 श्रेणी की परियोजनाओं में प्रस्तावित सी.ई.आर गतिविधियाँ जन सुनवाई के निष्कर्ष पर आधारित होने चाहिए एवं बी-2 श्रेणी की परियोजनाओं में स्थानीय आवश्यकता मूल्यांकन और ग्राम पंचायत वार्षिक कार्य योजना के आधार पर सी.ई.आर गतिविधि प्रस्तावित किया जाए।

(ब) मानक शर्तें

1. परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल विवरण के साथ वैध डाक का पता।
2. निगरानी में आसानी के लिए उत्खनन पट्टा क्षेत्र का जी.पी.एस समन्वय ई.सी में परिलक्षित होगा।
3. नियंत्रित ब्लास्टिंग तकनीक यदि आवश्यक हो केवल दिन के समय में ही की जाएगी।
4. उत्खनन कार्य स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जायेगा। खनन योजना के किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में एसईआईएए द्वारा दी गई पर्यावरण मंजूरी रद्द हो जाएगी।
5. वायु प्रदूषण से ग्रस्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों (उच्च स्तर के कण पदार्थ जैसे लोडिंग और अनलोडिंग पॉइंट और सभी ट्रांसफर पॉइंट) में प्रभावी सुरक्षा उपाय, जैसे कि नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए।


6. जहां खदान पहाड़ी इलाके में है और जहां पहाड़ी का कुछ हिस्सा पहले से ही उत्खनन के लिए काटा गया है, वहां आगे पहाड़ी की कटाई नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में, मौजूदा परिचालन क्षेत्र को गहरा करना अधिमानतः किया जा सकता है।
7. सभी विचाराधीन प्रस्तावों के लिए खनन कार्य से पूर्व खनन/राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल पर सटीक खनन क्षेत्र का संयुक्त रूप से सीमांकन किया जायेगा।
8. लीजधारक को परियोजना के लिए आवश्यक मात्रा में पानी (सतही जल और भूजल) की निकासी के लिए सक्षम अधिकारियों की आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
9. सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की पार्किंग नहीं होनी चाहिए
10. आसपास की बस्तियों को खनन गतिविधियों के प्रभाव से बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये एवं जिन सड़कों माध्यम से गौण खनिजों का परिवहन किया जाये उनका नियमित रूप से रख रखाव/ अनुरक्षण किया जाये।
11. मृदा अपरदन की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा गाद के प्रबंधन के उपाय किये जाये।
12. गाद को जलाशयों में ले जाने से रोकने के लिए डंप के तल पर खाई/नालियों का निर्माण किया जाये।
13. परियोजना प्रस्तावक खदान के गड्ढे, कचरे के ढेर और गारलैंड ड्रेन के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करेगा।
14. ऊपरी मिट्टी/टोस कचरे को उचित ढलान और पर्याप्त सुरक्षा ऋपायों के साथ ठीक से ढेर किया जाये और खनन क्षेत्र के पुनर्वास और पुनर्वास के लिए बैकफिलिंग (जहां लागू हो) के लिए उपयोग किया जाए।
15. वृक्षारोपण कार्यक्रम ई.एम.पी के अनुसार किया जाये। वनस्पतियों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जाए एवं सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना पट्टे क्षेत्र में किसी भी पेड़ की कटाई नहीं की जाये।
16. खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त बाड़ों से ढका जाये ताकि परिवहन के दौरान कोई धूल कण/बारीक पदार्थ बाहर न निकल सकें।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान श्रमिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये।
18. धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण उपलब्ध कराए जाए एवं उन्हें सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये।
19. स्थल पर प्राथमिक उपचार के लिए औषधालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाये।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण मंजूरी की एक प्रति सरकार के संबंधित अधिकारियों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों, पंचायत और नगर निकायों के प्रमुखों, जैसा लागू हो को भी प्रदान की जाये।
21. मंत्रालय या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्यावरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई और शर्त निर्धारित कर सकता है।
22. तथ्यात्मक डेटा को छुपाना या झूठे/गढ़े हुए डेटा प्रस्तुत करना और ऊपर उल्लेखित किसी भी शर्त का पालन न करने पर इस मंजूरी को वापस लिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

23. पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ कोई भी अपील यदि आवश्यक हो, तो माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत, निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की जा सकती है।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला रीवा (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला रीवा (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला रीवा (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

Signature Not Verified


Digitally signed by Shri, Mujeebur
Rehman Khan
Member Secretary

Date: 4/6/2023 7:41:31 PM

ENVIRONMENTAL
CLEARANCE

PARIVESH

(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive,
and Virtuous Environmental Single-Window Hub)



Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment
Authority(SEIAA), Madhya Pradesh)

To,

The Director of Ms Narmada Dhoka, Patthar, Patiya, Murrum, Gitty
SATISH MISHRA
NH-7, Near Pound, Gram Chorgari, Post Naudhiya, Rewa MP-486114 -
486114

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity
under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC)
in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number
SIA/MP/MIN/277397/2022 dated 02 Nov 2022. The particulars of the environmental
clearance granted to the project are as below.

1. EC Identification No.	EC23B001MP121978
2. File No.	9426/2022
3. Project Type	New
4. Category	B2
5. Project/Activity including Schedule No.	1(a) Mining of minerals
6. Name of Project	Bhaluha Murrum Quarry
7. Name of Company/Organization	SATISH MISHRA
8. Location of Project	Madhya Pradesh
9. TOR Date	N/A

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page
no 2 onwards.

Date: 10/01/2023

(e-signed)
Mujeebur Rehman Khan
Member Secretary
SEIAA - (Madhya Pradesh)

*Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification
number & E-Sign generated from PARIVESH. Please quote identification
number in all future correspondence.*

This is a computer generated cover page.

60

संदर्भ: प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/277397/2022 - प्रकरण क्र 9426/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नर्मदा ढोका, पत्थर, पटीया, मुरुम, गिट्टी उत्खनन क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्यादित रामनई, निदेशक, श्री सतीश कुमार मिश्रा, निवासी एन.एच-7 पाउंड, ग्राम चोरगरी के पास, पोस्ट नौधिया, जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता 9600 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 310/1 भाग, ग्राम भलुहा, तहसील रामपुर कर्चु0 जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरांत के संशोधनों तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा समय-समय पर जारी ज्ञापनों के परिपालन में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया अनुरूप परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव (क्र. SIA/MP/MIN/277397/2022 एवं MP SEIAA में पंजीयन दिनांक 16.11.2022) एवं संबंधित अनिवार्य दस्तावेजों के आधार पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया।

II कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण पत्र क्र. 782 दिनांक 04.04.2022 के अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता क्षेत्र/ईको सेंसेटिव जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र 250 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अक्षांश 24°33'21.69" से 24°33'27.39" और देशांतर 81°24'47.43" से 81°24'47.33" भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित है।

III. परियोजना पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त पैरा (II) के अनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई अभिप्रमाणित जानकारी तथा दस्तावेजों के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) की 763वीं बैठक दिनांक 28.12.2022 में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 609वीं बैठक दिनांक 07.12.2022 में प्रकरण पर की गई अनुशंसा के आधार पर विशिष्ट, साधारण/मानक शर्तें अधिरोपित करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नर्मदा ढोका, पत्थर, पटीया, मुरुम, गिट्टी उत्खनन क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्यादित रामनई, निदेशक, श्री सतीश कुमार मिश्रा, निवासी एन.एच-7 पाउंड, ग्राम चोरगरी के पास, पोस्ट नौधिया, जिला रीवा (म.प्र.) के नाम मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता 9600 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 310/1 भाग, ग्राम भलुहा, तहसील रामपुर कर्चु0 जिला रीवा (म.प्र.) की राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों और तदुपरांत मानक शर्तों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(अ) विशिष्ट शर्तें:

1. संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का पत्र क्र. 3667 दिनांक 17.03.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 16.03.2032 तक मान्य रहेगी।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले मानव बसाहट से 100 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- जंगल जलेबी, आवला, नीम, कस्टार, चिरोल, आदि।	100
2	परिवहन मार्ग तथा ग्रामीण मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- पीपल, करंज, चिरोल, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू आदि।	250
3	दूसरे वर्ष में ग्राम भलुहा के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- पुत्रंजीवा, मोलश्री, संतरा, पपीता, मुनगा, आम, करंज, आवला, नीम आदि।	50
4.	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- आवला, आम, अमरुद, अनार, कटहल, निम्बू, जामुन, मुनगा आदि।	800
कुल			1200

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
 - ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
 - ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
 - ग्राम भलुहा के आंगनबाड़ी केंद्र की मरम्मत एवं रंग रोगन का कार्य किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारों ओर की जाये।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
8. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
11. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू-दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिजपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनिज पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
15. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
16. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
17. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माइनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनिज पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार,

- भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
22. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
 23. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।
 24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिये बजट केपीटल राशि रु. 07.15 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 02.53 लाख पर्यावरण प्रबंधन योजना में निहित प्रावधान अनुसार रहेगा।
 25. खनन कार्य स्वीकृत खान योजना एवं प्रस्तावित भू उपयोग के अनुसार किया जाये। खनन सुरक्षा हेतु महानिदेशालय द्वारा निर्धारित डेंजर जोन (500मी.) के विनियमों का भी अनिवार्य रूप से पालन किया जाये एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिये आवश्यक उपाय किये जायें।
 26. स्वीकृत खनन क्षेत्र का सीमांकन अंक्षाश एवं देशांतर दर्शाते हुये बाउन्ड्री पिलर पर सीमा चिन्ह द्वारा किया जाये एवं खनन क्षेत्र के चारो ओर फेन्सिंग करवाई जाये। खनन क्षेत्र में सूचना पटल पर खदान की जानकारी एवं सुरक्षा उपायों का दर्शाया जाये।
 27. धूल के दमन के हेतु पट्टा क्षेत्र से बाहर निकलने वाले वाहनों पर पानी छिड़काव हेतु सोलर पंप/पानी के टैंकों के साथ आवेरेहेड स्प्रिंकलर और निकासी सड़क पर निश्चित प्रकार के स्प्रिंकलर की व्यवस्था की जानी चाहिये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा एक लॉग बुक रखी जाये जिसमे पानी के छिड़काव और वाहन की आवाजाही का दैनिक विवरण दर्ज किया जाये।
 28. खनिज का परिवहन केवल आवश्यक नमी वाले ढके हुये पी.यूसी प्रमाणित वाहनों में किया जाये, जिससे निर्धारित निर्गम स्थलों पर होने वाले फुगिटिव (Fugitive) उत्सर्जन को रोका जासके।
 29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निकासी सड़क को पक्का (WBM/Black top) बनाया जाये।
 30. खनन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPPCB) से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाये एवं MPPCB के निर्देश के अनुसार वायु/जल प्रदूषण नियंत्रण उपायों को स्थापित करें।
 31. इनबिल्ट एपी.सी.डी और वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम के साथ क्रेशर सड़क से न्यूनतम 100मी. दूर और बसाहट से 500 मीटर की दूरी, पर म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बाद ही फुगिटिव उत्सर्जन से बचने के उपयुक्त सामग्री की कम से कम 04 मी. ऊंची विंड ब्रेकिंग वॉल के साथ स्थापित किया जाये।
 32. लोडिंग मशीनों की कार्य ऊंचाई बेंच कॉन्फिगरेशन के अनुसार युक्तिसंगत हो।
 33. ठोस कारतूस की जगह घोल मिश्रित विस्फोटक (SME) का उपयोग किया जाये।
 34. ओवर बर्डन का पुनः उपयोग सड़क के रखरखाव के लिये किया जाये, परियोजना प्रस्तावक आई.बी.एम द्वारा अनुमोदित अंतिम क्लोजर प्लान का अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा।
 35. क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिये समुचित कार्य किये जाये एवं इसके लिये आरक्षित निधि का उपयोग ग्राम पंचायत/सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से किया जाये।
 36. श्रमिकों का छहः मासिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाये एवं श्रमिकों को आवश्यक पी.पी.ई किट प्रदान किया जाये। तथा श्रमिकों/कर्मचारियों के लिये विश्राम आश्रय, प्राथमिक चिकित्सा, उचित अग्निशमन उपकरण और शौचालय (पुरुष और महिला के लिये अलग) जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी

- प्रदान की जाये। खदान के कार्यालय/विश्राम गृह इत्यादि को सोलर लाईट द्वारा रोशन और हवादार किया जाये।
37. वित्तीय जवाबदेही के लिये परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएमपी और सीईआर गतिविधियों में किये गये सभी व्यय के लिये एक अलग बैंक खाता रखा जाना जाये एवं इसका विवरण वार्षिक पर्यावरण विवरण में दिया जाये। यदि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये नेगेटिव उपायों के लिये आवंटित ई.एम.पी बजट का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका विवरण वार्षिक प्रतिवेदन में किया जाये।
 38. कंपनी से बचने के लिये ब्लास्टिंग के दौरान कोई ओवरचार्जिंग नहीं की जाये केवल मफल ब्लास्टिंग को ही अपनाया जाये। ब्लास्टिंग केवल प्रमाणित ब्लास्टर के माध्यम से की जाये और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना खदान स्थल पर विस्फोटक भंडारण न किया जाये।
 39. खदान के पानी को खनन क्षेत्र से बाहर न छोड़ा जाये अपितु उसका उपयोग छिड़काव एवं वृक्षारोपण के लिये किया जाये। अपवाह और वर्षा जल के लिये उपयुक्त आकार के गारलैण्ड ड्रेन और सेटलिंग टैंक (SS Pattern) की व्यवस्था की जाये।
 40. सभी गारलैण्ड ड्रेन को सेटलिंग पिट्स के माध्यम से सेटलिंग टैंक से जोड़ा जाये एवं बचे हुए पानी का उपयोग धूल दमन, हरित पट्टी विकास और लाभकारी संयंत्र (Beneficiation Plant) के लिये किया जाये। नालों और गड्ढों की गाद निकालने का कार्य नियमित रूप से किया जाये।
 41. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEIAA/SEAC में जमा किये गये दस्तावेजों में विसंगति के लिये स्वयं जिम्मेदार होगा।
 42. खनन पट्टा क्षेत्र में गड्ढें एवं भूमि के पुनरुद्धार की राशि का उपयोग खनन विभाग के माध्यम से किया जाये। खनन कार्य समाप्ति के उपरांत खदान के पुनरुद्धार के लिये खनन विभाग द्वारा अनुमानित उचित राशि को कलेक्टर के शासकीय कोष में जमा कराया जाये।
 43. पट्टा क्षेत्र में किसी भी पेड़ को काटने/उखाड़ने से पहले वन विभाग एवं पानी की आवश्यकता/उपयोग हेतु ग्राम पंचायत की अनापत्ति (एन.ओ.सी.) प्राप्त की जाये।
 44. ऐसे पट्टे जो वन क्षेत्र के 250मी. की परिधि के अंदर आ रहे हैं एवं परियोजना प्रस्तावक ने संभाग स्तरीय आयुक्त समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तो समिति द्वारा निर्धारित सभी शर्तों पालन सुनिश्चित किया जाये।
 45. परियोजना में विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और प्रस्तावित खनन ईकाई में उत्पाद मिश्रण एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिये नवीन पर्यावरण स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
 46. अस्थायी अनुज्ञा (TP) के प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता केवल टीपी की वैधता तक रहेगी एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान समापन योजना का पालन सुनिश्चित करना होगा।
 47. सभी खदाने जहां उत्पादन > 50000 घन मीटर/वर्ष है, उनमें परियोजना प्रस्तावक बजट आवंटन के साथ पर्यावरण प्रबंधन परियोजना (ई.एम.पी) और कार्पोरेट इन्वायमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CER) में प्रस्तावित विभिन्न खनन संबंधी गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिये अपनी वेबसाइट विकसित करे एवं विभिन्न गतिविधियां जैसे गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक, वृक्षारोपण, पानी के छिड़काव की व्यवस्था, परिवहन एवं सड़क को ठीक करना आदि का छमाही प्रगति प्रतिवेदन इस वेबसाइट एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी अपलोड करे एवं वेबसाइट के नियमित रख-रखाव एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक या खनन प्रबंधक की होगी।

48. सभी प्रकार के मृदा खनन, की अधिकतम गहराई सामान्य जमीनी स्तर से 02 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य प्रावधान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ओ.एम नंबर एल-11011/47/2011-आईए-II (एम) दिनांक 24/06/2013 के अनुसार मान्य होगा।
49. खनन पट्टाधारक खनन कार्य को बंद करने के बाद खनन क्षेत्र और किसी भी अन्य क्षेत्र जो उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित हो सकते हैं, उनमें फिर से पुनः इस ऐसी स्थिति में बहाल करेंगे जो कि घास, वनस्पतियों इत्यादि के विकास के लिए उपयुक्त हो। इसके लिये, एम.ओ.ई.एफ. एंड.सी.सी के पत्र एफ. सं. 22-34/2018-आई.ए. III दिनांक 16/01/2020 अनुसार ई.एम.पी और सी. ई.आर अंतर्गत एक अलग बजट सुरक्षित करें।
50. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या Z-11013/57/2014-IA II (एम) दिनांक 29 अक्टूबर 2014 शीर्षक "आवासों पर खनन गतिविधियों का प्रभाव, खनन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे, जिसमें बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्रों का हिस्सा हैं या बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्र से घिरे हुए हैं" में दिए गए मिटिगेटिव उपायों का पालन करेगा।
51. पत्राचार के पते में कोई भी परिवर्तन के लिये 30 दिनों के अंदर सभी नियामक प्राधिकरण को सूचित करेगा।
52. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आवाजाही) नियम, 2016 के तहत यदि आवश्यक हो तो ऑथराइजेशन प्राप्त करेगा।
53. खदान में प्रवेश के समय परियोजना के संबन्ध में एक डिस्प्ले बोर्ड निम्नलिखित विवरण के साथ लगाना अनिवार्य होगा :
- खदान के मालिक का नाम संपर्क विवरण ।
 - परियोजना का खनन पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर में)।
 - परियोजना की उत्पादन क्षमता ।
54. ई.एम.पी के अंतर्गत प्रावधानित बजट अनुसार खदान के 7.5 मीटर बैरियर जोन में सघन वृक्षारोपण संबंधित सी.सी.एफ (सामाजिक वानिकी) के मार्गदर्शन अनुसार एवं डी.एफ.ओ/ग्राम पंचायत/कृषि विभाग या पर्याप्त विशेषज्ञता रखने वाली किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी से कार्य की अनुमति तथा वन विकास निगम/वन समिति जैसे वन रेंज अधिकारी की निगरानी में किया जाये।
55. पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए सतही मिट्टी का उपयोग किया जाए एवं पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई ओ. बी. (Over burden) डंप न किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को खनन कार्यों के शुरुआती तीन वर्षों में वृक्षारोपण गतिविधि पूर्ण करे एवं हताहत/मृत पौधों के प्रतिस्थापन सहित पूरे खनन जीवन के लिए उन्हें बनाए रखा जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण और करणीय प्रतिस्थापन के वार्षिक विवरण हेतु एक लॉग बुक रखी जाये एवं खनन कार्य के दौरान किसी भी वनस्पतियों, जीवों इत्यादि को कोई हानि न हो, इस हेतु पर्याप्त सावधानी बरती जाये। पी.पी. द्वारा वन भूमि में संभावित अतिरिक्त वृक्षारोपण वनमंडलाधिकारी के माध्यम से किया जाये एवं निर्धारित बजट भी वनमंडलाधिकारी को हस्तांतरित किया जाये ।
56. संबंधित ग्राम क्षेत्र की सामुदायिक भूमि अथवा बंजर वन भूमि पर ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय मिश्रित प्रजातिया जैसे वार्षिक, बारहमासी घास/चारा, वृक्ष की प्रजातियों रोपित की जाये जिससे चरागाह विकसित हो सके एवं खनन कार्य के उपरांत इस विकसित चरागाह को ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाए।
57. पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले कम से कम 100 पौधे और अधिकतम वृक्षारोपण योजना अनुसार आस-पास के ग्रामीणों को चारा/देशी फल देने वाली प्रजातियों के पौधे सामाजिक वानिकी नर्सरी/सरकारी बागवानी नर्सरी से प्राप्त कर

वितरित किए जाए। यह गतिविधि म.प्र. सरकार की "अंकुर योजना" के अंतर्गत "वायुदूत ऐप" पर व्यक्तिगत ग्रामीणों को पंजीकृत कर की जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिन स्थानों पर औषधि वाटिका (Meditional Garden) प्रस्तावित है, उन स्थानों (स्कूल/आंगनवाड़ी प्रांगण) पर न्यूनतम 50 पौधे रोपित किये जाये एवं इस प्रकार विकसित किये जाये कि उनका सरवाइवल 80 प्रतिशत तक हो।

58. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपित पेड़-पौधों की सिंचाई हेतु पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाये।
59. बी-1 श्रेणी की परियोजनाओं में प्रस्तावित सी.ई.आर गतिविधियाँ जन सुनवाई के निष्कर्ष पर आधारित होने चाहिए एवं बी-2 श्रेणी की परियोजनाओं में स्थानीय आवश्यकता मूल्यांकन और ग्राम पंचायत वार्षिक कार्य योजना के आधार पर सी.ई.आर गतिविधि प्रस्तावित किया जाए।

60. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ आंगनवाड़ी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -


- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

(ब) मानक शर्तें

1. परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल विवरण के साथ वैध डाक का पता।
2. निगरानी में आसानी के लिए उत्खनन पट्टा क्षेत्र का जी.पी.एस समन्वय ई.सी में परिलक्षित होगा।
3. नियंत्रित ब्लास्टिंग तकनीक यदि आवश्यक हो केवल दिन के समय में ही की जाएगी।
4. उत्खनन कार्य स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जायेगा। खनन योजना के किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में एसईआईएए द्वारा दी गई पर्यावरण मंजूरी रद्द हो जाएगी।


5. वायु प्रदूषण से ग्रस्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों (उच्च स्तर के कण पदार्थ जैसे लोडिंग और अनलोडिंग पॉइंट और सभी ट्रांसफर पॉइंट) में प्रभावी सुरक्षा उपाय, जैसे कि नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए ।
6. जहां खदान पहाड़ी इलाके में है और जहां पहाड़ी का कुछ हिस्सा पहले से ही उत्खनन के लिए काटा गया है, वहां आगे पहाड़ी की कटाई नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में, मौजूदा परिचालन क्षेत्र को गहरा करना अधिमानतः किया जा सकता है ।
7. सभी विचाराधीन प्रस्तावों के लिए खनन कार्य से पूर्व खनन/राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल पर सटीक खनन क्षेत्र का संयुक्त रूप से सीमांकन किया जायेगा।
8. लीजधारक को परियोजना के लिए आवश्यक मात्रा में पानी (सतही जल और भूजल) की निकासी के लिए सक्षम अधिकारियों की आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
9. सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की पार्किंग नहीं होनी चाहिए
10. आसपास की बस्तियों को खनन गतिविधियों के प्रभाव से बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये एवं जिन सड़कों माध्यम से गौण खनिजों का परिवहन किया जाये उनका नियमित रूप से रख रखाव/अनुरक्षण किया जाये ।
11. मृदा अपरदन की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा गाद के प्रबंधन के उपाय किये जाये।
12. गाद को जलाशयों में ले जाने से रोकने के लिए डंप के तल पर खाई/नालियों का निर्माण किया जाये।
13. परियोजना प्रस्तावक खदान के गड्ढे, कचरे के ढेर और गारलैंड ड्रेन के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करेगा।
14. ऊपरी मिट्टी/टोस कचरे को उचित ढलान और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ ठीक से ढेर किया जाये और खनन क्षेत्र के पुनर्वास और पुनर्वास के लिए बैकफिलिंग (जहां लागू हो) के लिए उपयोग किया जाए।
15. वृक्षारोपण कार्यक्रम ई.एम.पी. के अनुसार किया जाये। वनस्पतियों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जाए एवं सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना पट्टे क्षेत्र में किसी भी पेड़ की कटाई नहीं की जाये।
16. खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त बाड़ों से ढका जाये ताकि परिवहन के दौरान कोई धूल कण/बारीक पदार्थ बाहर न निकल सकें।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान श्रमिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये।
18. धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण उपलब्ध कराए जाए एवं उन्हें सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये।
19. स्थल पर प्राथमिक उपचार के लिए औषधालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाये।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण मंजूरी की एक प्रति सरकार के संबंधित अधिकारियों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों, पंचायत और नगर निकायों के प्रमुखों, जैसा लागू हो को भी प्रदान की जाये।
21. मंत्रालय या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्यावरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई और शर्त निर्धारित कर सकता है।
22. तथ्यात्मक डेटा को छुपाना या झूठे/गढ़े हुए डेटा प्रस्तुत करना और ऊपर उल्लेखित किसी भी शर्त का पालन न करने पर इस मंजूरी को वापस लिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

23. पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ कोई भी अपील यदि आवश्यक हो, तो माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत, निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की जा सकती है।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला रीवा (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला रीवा (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला रीवा (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Shri Mujeebur
Rehman Khan
Member Secretary
Date: 1/10/2023 6:32:53 PM

69

NI/TS/EZ/RO/MPPCB/No. 197 Rewa, Dated: 14-8-08

REGIONAL OFFICE
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD
 HIG-190, NEHRU NAGAR, REWA 486001 (M.P.)

2594 /RO/MPPCB/TECH//2008Rewa, Dated: 14.8.08

✓ M/s Aastha Cons. & Minerals(mines)
 (Prop. Shri. Santosh Kumar Sharma)
 V/ P. Bhaluha Ramnai Th Raipur Kurchulion
 Distt-Rewa (M.P.).

Consent of the Board under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act.1981.

Your application No.17.07.08 , received this office dt 18.07.08

With reference to your application for consent of the Board under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act.1981, the consent to operate for mining activity is hereby granted and annually renewed valid up to 31-01-2009, subject to the fulfillment of following terms and conditions:

This consent is valid for establishment and operation of mine at Kh.No.310 & 224 Ka/2 Bhaluha 5.0 Acre, Vill. Bhaluha Th. Raipur Kurchulion Distt-Rewa (M.P.). for following product and production capacity

ProductProduction capacity

Manual minning of ---10000 M.T./ Year (Ten Thousand Metric tones per year) only
 Stone Gitty

Appropriate & effective air pollution control equipments shall be installed at all points of sources of emission and shall insure their efficient working all the time. In case of failure some alternate arrangement be made.

Excessive dust emission during excavation of minerals, its handling/ transportation and from all other sources should be controlled effectively and monitored. Water spraying arrangement on road, loading /unloading points should be provided and properly maintained.

Applicant shall insure that the concentration of particulate matter from point source emission shall not exceed 150 mg/Nm³.

Ambient air quality at the boundary of the mine premises shall conform to the following limits:

a. SPM	-	500	-	Micregram/ cubic meter
b. RPM	-	150	-	do-
c. SO ₂	-	120	-	do-
d. NO _x	-	120	-	do-


Applicant shall take proper action to control the noise pollution. The noise level shall not exceed 75 dB[A] during the day and 70 dB[A] during the night.

(2)

- 6 Industry shall submit six-monthly ambient air quality monitoring report to the Board.
- 7 Extensive tree plantation preferably of local species shall be done within and around the mining lease area. The mine shall adopt good house keeping practice.
- 8 The submission of environmental statement by the mine management who seek consent under a and water Act and authorization under Hazardous Waste Rules 1989(amended in 2003) has been made mandatory under Environmental (Protection) Rules 1986 .As per this provision, such mine industry is required to submit Environmental statement for the previous year (ending 31st March) or before 30th September every year to the board.
- 9 Any change in process, raw material used, production capacity, capital investment etc. shall be intimated to the Board. For any enhancement of above prior permission of the Board shall be obtained.
- 10 Board reserves the right to amend /cancel above conditions in part or as a whole as and when deemed necessary.
- 11 This consent is valid for the stated period and has to be renewed yearly. An application in this regard with annual license fee & point wise compliance of the consent conditions shall reach office 4 months before the expiry of this consent.

Please acknowledge the receipt of this letter.

For and on behalf of the
MP Pollution Control Board


(C.P.KHARE)
REGIONAL OFFICER
MP.POLLUTION CONTROL BOARD
REWA